सप्तदश माला, खंड 25, अंक 4

मंगलवार, 25 जुलाई, 2023
3 श्रावण, 1945 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

बारहवां सत्र

(सत्रहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

(खंड 25 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

सम्पादक मंडल

उत्पल कुमार सिंह
महासचिव
लोक सभा

ममता केमवाल
संयुक्त सचिव

अमर सिंह
निदेशक

बसन्त प्रसाद
संयुक्त निदेशक

नरेश कुमार
उप निदेशक

© 2023 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा सचिवालय की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी सामग्री की न तो नकल की जाए और न ही पुन: प्रतिलिपि तैयार की जाए, साथ ही उसका वितरण, पुन: प्रकाशन, डाउनलोड, प्रदर्शन तथा किसी अन्य कार्य के लिए इस्तेमाल अथवा किसी अन्य रूप या साधन द्वारा प्रेषण न किया जाए, यह प्रतिबंध केवल इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, फोटोप्रति, रिकॉर्डिंग आदि तक ही सीमित नहीं है। तथापि, इस सामग्री का केवल निजी, गैर-वाणिज्यिक प्रयोग हेतु प्रदर्शन, नकल और वितरण किया जा सकता है बशर्ते कि सामग्री में किसी प्रकार का परिवर्तन न किया जाए और सभी प्रतिलिप्यधिकार (कॉपीराइट) तथा सामग्री में अंतर्विष्ट अन्य स्वामित्व संबंधी सूचनाएं सुरक्षित रहें।

लोक सभा वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण का अनुवाद कृत्रिम मेधा (Artificial Intelligence**) आधारित सॉफ्टवेयर एप्पलीकेशन की सहायता से किया गया है और सटीक अनुवाद उपलब्ध कराने के लिए यथोचित प्रयास किए गए हैं। तथापि,** हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। इसमें सम्मिलित मूलत: अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में दिए गए भाषणों का हिन्दी अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा। पूर्ण प्रामाणिक संस्करण के लिए कृपया लोक सभा वाद-विवाद का मूल संस्करण देखें।

विषय-सूची

सप्तदश माला, खंड 25, बारहवां सत्र, 2023 / 1945 (शक)
अंक 4, मंगलवार, 25 जुलाई, 2023 / 3 श्रावण, 1945 (शक)

विषय	पृष्ठ संख्या
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	*11-13*
[1*] तारांकित प्रश्न सं. 61	
प्रश्नों के लिखित उत्तर	13
तारांकित प्रश्न संख्या 62 से 80	
अतारांकित प्रश्न संख्या 691 से 920	

[1*] किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने ही पूछा था।

सभा पटल पर रखे गए पत्र 14-23

सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति 24-26
130वें से 141वें प्रतिवेदन

ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति 27
36वीं से 38वीं रिपोर्ट

विदेशी मामलों संबंधी स्थायी समिति 28
22 प्रतिवेदन

श्रम, वस्त्र और कौशल विकास संबंधी स्थायी समिति 29
वक्तव्य

मंत्री द्वारा वक्तव्य 31

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2023-24) के बारे में शिक्षा, महिला, बाल, युवा और खेल संबंधी स्थायी समिति के 351वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति

श्री निशीथ प्रामाणिक

समिति के लिए निर्वाचन 31-32
राजभाषा समिति

कार्य मंत्रणा समिति के बयालीसवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव 33

नियम 377 के अधीन मामले 34-57

(एक) कालाहांडी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में इलेक्ट्रिक लोको पीरियोडिकल ओवरहॉलिंग वर्कशॉप स्थापित किए जाने की आवश्यकता 34-35

श्री बसंत कुमार पंडा

(दो) देश में घुमंतू एवं अर्धघुमंतू जनजातियों के शैक्षणिक, सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान के बारे में। 35

श्री रमाकांत भार्गव

(तीन) महाराष्ट्र में ओबीसी सूची में 'धनगढ़' की वर्तनी में सुधार करके 'धंगर' किए जाने की आवश्यकता। 36

श्री रणजितसिंह नाईक निंबालकर

(चार) महराजगंज संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की प्रत्येक पंचायत में किसानों के लिए मोबाइल प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता 37

श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल

(पाँच) देश में शैक्षणिक संस्थानों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के उपयोग को विनियमित किए जाने की आवश्यकता के बारे में। 38

श्री पी. पी. चौधरी

(छह) झारखण्ड के संथाल परगना क्षेत्र में जरमुंडी (दुमका), देवघर एवं महगामा (गोड्डा) में तीन केन्द्रीय विद्यालयों की स्थापना किए जाने के बारे में। 39

डॉ. निशिकांत दुबे

(सात) झारखंड के सिंहभूम जिले में वन क्षेत्रों के पास खोदी गई खाइयों को भरे जाने और हाथी के हमले में मारे गए लोगों के परिवार के सदस्यों को मुआवजा दिए जाने की आवश्यकता। 40

श्री बिद्युत बरन महतो

(आठ) ईपीएस-95 के अंतर्गत पेंशन की राशि को बढ़ाए जाने की आवश्यकता। 41

श्रीमती रीता बहुगुणा जोशी

(नौ) महाराष्ट्र के सरकारी अस्पतालों में महिलाओं में संतानहीनता के इलाज की सुविधा उपलब्ध कराए जाने और राज्य के अस्पतालों में आईवीएफ केंद्र भी स्थापित किए जाने की आवश्यकता। 42

डॉ. जयसिद्धेश्वर शिवाचार्य स्वामीजी

(दस) बिहार में मुजफ्फरपुर-जनकपुर-उरई सड़क की मरम्मत तथा बागमती नदी पर पुल निर्माण के बारे में। 43

श्री अजय निषाद

(ग्यारह) दिल्ली में बाढ़ नियंत्रण उपायों और दिल्ली में हाल ही में आई बाढ़ से प्रभावित लोगों को मुआवजे के भुगतान के बारे में 44

श्री मनोज तिवारी

(बारह) सलेमपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर रेलगाड़ियों का ठहराव प्रदान किए जाने की आवश्यकता। 45

श्री रविन्द्र कुशवाहा

(तेरह) हरियाणा के विभिन्न जिलों में 100 बिस्तरों वाले ईएसआईसी अस्पताल स्थापित किए जाने की वर्तमान स्थिति के बारे में 46

श्री नायब सिंह सैनी

(चौदह) हेज्जाला-चामराजनगर नई ब्रॉड गेज रेल लाइन को पूरा किए जाने के बारे में। 47

श्री डी.के. सुरेश

(पंद्रह) रायपुरम में रेलवे प्रिंटिंग प्रेस को बंद करने के निर्णय की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता के बारे में। 48

डॉ. कलानिधि वीरस्वामी

(सोलह) धर्मापुरी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में अवसंरचना में सुधार और साहसिक पर्यटन के विकास के लिए विशेष निधियां आवंटित किए जाने की आवश्यकता के बारे में। 49

डॉ. डी.एन.वी. सेंथिलकुमार एस.

(सत्रह) मणिपुर में कानून एवं व्यवस्था और सांप्रदायिक सौहार्द्र बनाए रखने के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता के बारे में। 50

प्रो. सौगत राय

(अठारह) मुर्शिदाबाद के धुलियान गंगा रेलवे स्टेशन पर एक सबवे का निर्माण किए जाने की आवश्यकता 51

श्री खलीलुर रहमान

(उन्नीस) महिलाओं में एनीमिया के उपचार के बारे में। 52

श्रीमती वांगा गीता विश्वनाथ

(बीस) 4जी मोबाइल कवरेज के अंतर्गत रत्नागिरी - सिंधुदुर्ग के गांवों को शामिल किए जाने की आवश्यकता के बारे में। 53

श्री विनायक भाऊराव राऊत

(इक्कीस) तमिलनाडु में पूर्वी तट रेल परियोजना के बारे में। 54

श्री एम. सेल्वराज

(बाईस) कोल्लम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में विभिन्न रेलगाड़ियों के ठहराव को बहाल किए जाने की आवश्यकता के बारे में। 55

श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन

(तेईस) उत्तर प्रदेश में गोंड समुदाय के व्यक्तियों को अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल किए जाने की आवश्यकता। 56

श्री नव कुमार सरनीया

(चौबीस) ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसॉर्डर एण्ड सेरेब्रल पाल्सी संबंधी प्रतिवेदनों के कार्यान्वयन की आवश्यकता 57

श्री सुनील कुमार पिंटू

जैव विविधता (संशोधन) विधेयक, 2022 58,63-83

संयुक्त समिति द्वारा यथा प्रतिवेदित

विचार के लिए प्रस्ताव 58

श्री भूपेन्द्र यादव 58

डॉ. संजय जयसवाल 59

श्रीमती अपराजिता सारंगी 63-66

श्रीमती वांगा गीता विश्वनाथ 65-67

श्री मलूक नागर 67

खंड 2 से 43 और 1	69-79
पारित किए जाने हेतु प्रस्ताव	80
लोक लेखा समिति 66वें से 68वां प्रतिवेदन	62-63
बहु-राज्य सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2022 **संयुक्त समिति द्वारा यथा प्रतिवेदित**	84-106
विचार के लिए प्रस्ताव	84
श्री अमित शाह	84, 93-103
श्री मनोज कोटक	84-87, 88
श्री लावु श्रीकृष्णा देवरायालू,	87, 88-90
श्री रामशिरोमणि वर्मा	91
श्री संतोष कुमार गंगवार	91-92
खंड 2 से 49 और 1	102-103
पारित किए जाने हेतु प्रस्ताव	103

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्री ओम बिरला

सभापति तालिका

श्रीमती रमा देवी

डॉ. (प्रो.) किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी

श्री राजेन्द्र अग्रवाल

श्री कोडिकुन्नील सुरेश

श्री ए. राजा

श्री पी.वी. मिधुन रेड्डी

श्री भर्तृहरि महताब

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन

डॉ. काकोली घोष दस्तीदार

महासचिव

श्री उत्पल कुमार सिंह

लोक सभा वाद-विवाद

लोक सभा

मंगलवार, 25 जुलाई, 2023 / 3 श्रावण, 1945 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[**माननीय अध्यक्ष** *पीठासीन हुए*]

[2]प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न काल।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न 61, श्री वी. के. श्रीकंदन।

… (व्यवधान)

(प्रश्न संख्या 61)

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी।

… (व्यवधान)

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (साध्वी निरंजन ज्योति) : अध्यक्ष जी, मैं विवरण सदन के पटल पर रखती हूं। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री गौरव गोगोई।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न 62, श्री मनीष तिवारी जी।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी।

---

[2] **प्रश्नों और उनके उत्तरों के लिए ग्रंथालय में रखी गई वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण की मास्टर-प्रति का संदर्भ लें। प्रश्नों और उनके उत्तरों के संबंध में अधिक जानकारी हेतु आप इस लिंक पर जाएं।** https://sansad.in/ls/hi/questions/questions-and-answers

इस लिंक के खुलने के बाद लोक सभा का चयन करें, फिर सत्र का चयन करें तत्पश्चात् फिल्टर में जाकर वाद-विवाद की तारीख का चयन करने के पश्चात् इसे लागू करें।

… (व्यवधान)

<u>अपराह्न 11.01 बजे</u>

इस समय श्री बी. मणिक्कम टैगोर, सुश्री महुआ मोइत्रा, श्री ए. राजा और कुछ अन्य माननीय सदस्य आगे आकर सभा पटल के निकट खड़े हो गये।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : क्या आप सदन चलाना नहीं चाहते हैं? क्या आप प्रश्न काल के समय का उपयोग नहीं करना चाहते हैं?

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न काल का समय बहुत महत्वपूर्ण होता है। मेरा आपसे आग्रह है कि सदन को चलाएं। प्रश्न काल पर आप चर्चा करें और सरकार की जवाबदेही तय करें।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आपको अच्छे प्रयास की कोशिश करनी चाहिए। हमारा लोकतंत्र दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। आप रोज नारेबाजी क्यों करते हैं? नारेबाजी से समस्या का कोई समाधान नहीं निकलेगा।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप सभी अपनी-अपनी सीट पर विराजें। मैं हर मुद्दे पर आपको पर्याप्त समय और पर्याप्त मौका दूंगा। मेरा आपसे आग्रह है कि संसद की गरिमा को बनाए रखें। रोज प्ले कार्ड लाना संसदीय परम्पराओं के अनुरूप नहीं है।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैंने आपसे पहले भी आग्रह किया है। आप सभी वरिष्ठ सदस्य हैं। संसद की गरिमा को बनाए रखें। क्या आप सदन नहीं चलाना चाहते हैं? क्या आप प्रश्न काल नहीं चलाना चाहते हैं? क्या आप गंभीर मुद्दों पर चर्चा नहीं करना चाहते हैं?

———————

… (व्यवधान)

[3]प्रश्नों के लिखित उत्तर

(तारांकित प्रश्न सं. 62 से 80 तक
अतारांकित प्रश्न सं. 691 से 920)

माननीय अध्यक्ष : सदन की कार्यवाही आज दो बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

अपराह्न 11.02 बजे

तत्पश्चात लोकसभा अपराह्न दो बजे तक के लिए स्थगित हुई।

———————

[3] **प्रश्नों और उनके उत्तरों के लिए ग्रंथालय में रखी गई वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण की मास्टर-प्रति का संदर्भ लें। प्रश्नों और उनके उत्तरों के संबंध में अधिक जानकारी हेतु आप इस लिंक पर जाएं।** https://sansad.in/ls/hi/questions/questions-and-answers

इस लिंक के खुलने के बाद लोक सभा का चयन करें, फिर सत्र का चयन करें तत्पश्चात् फिल्टर में जाकर वाद-विवाद की तारीख का चयन करने के पश्चात् इसे लागू करें।

अपराह्न 2.00 बजे

लोक सभा अपराह्न दो बजे पुन: समवेत हुई।

(श्री राजेन्द्र अग्रवाल पीठासीन हुए)

[हिन्दी]

माननीय सभापति : माननीय सदस्यगण, कुछ विषयों पर स्थगन प्रस्ताव के नोटिस प्राप्त हुए हैं। माननीय अध्यक्ष जी ने किसी भी स्थगन प्रस्ताव के नोटिस को स्वीकृति नहीं दी है।

… (व्यवधान)

अपराह्न 2.00½ बजे

इस समय श्री टी. एन. प्रथापन, श्री बी. मणिक्कम टैगोर, डॉ. कलानिधि वीरास्वामी, श्रीमती अपरूपा पोद्दार और कुछ अन्य माननीय सदस्य आगे आकर सभा पटल के निकट खड़े हो गए।

… (व्यवधान)

अपराह्न 2.01 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

माननीय सभापति : अब पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगे।

आइटम नंबर -2.

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (साध्वी निरंजन ज्योति): माननीय सभापति महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं:-

(1) (एक) राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका संवर्धन सोसाइटी, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका संवर्धन सोसाइटी, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी 9679/17/23]

(3) (एक) राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना विकास एजेंसी, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना विकास एजेंसी, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी 9680/17/23]

… (व्यवधान)

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानन्द राय): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल अधिनियम, 1992 की धारा 156 की उप-धारा (3) के अंतर्गत भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, सामान्य ड्यूटी काडर (समूह 'ग' पद) भर्ती संशोधन नियम, 2023 जो 21 फरवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 113(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी 9681/17/23]

(2) सशस्त्र सीमा बल अधिनियम, 2007 की धारा 155 की उप-धारा (3) के अंतर्गत गृह मंत्रालय, सशस्त्र सीमा बल, योधक, समूह 'ख' (अराजपत्रित) परा-पशुचिकित्सा भर्ती नियम, 2023 जो 25 मार्च, 2023 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 26 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी 9682/17/23]

(3) असम राइफल्स अधिनियम, 2006 की धारा 167 के अंतर्गत असम राइफल्स, राइफलमैन/राइफलवुमन (सामान्य ड्यूटी) समूह 'ग' योधक पद भर्ती नियम, 2023, जो 9 मई, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.351(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी 9683/17/23]

(4) केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल अधिनियम, 1949 की धारा 18 की उप-धारा (3) के अंतर्गत केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, कांस्टेबल (सामान्य ड्यूटी), सामान्य ड्यूटी काडर, समूह 'ग' पद, भर्ती नियम, 2023 जो 5 अप्रैल, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.271(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल.टी.9684/17/23]

(5) पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम, 1920 की धारा 3 की उप-धारा (5) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) का.आ. 3051(अ) जो 11 जुलाई, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा सभी वर्गों के यात्रियों के लिए वैध यात्रा दस्तावेजों के साथ भारत में प्रवेश/से निकास के लिए ओडिशा राज्य के धामरा सीपोर्ट को प्राधिकृत आव्रजन चेक पोस्ट के रूप में अभिहित किया गया है।

(दो) का.आ. 3053(अ) जो 11 जुलाई, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा सभी वर्गों के यात्रियों के लिए वैध यात्रा दस्तावेजों के साथ भारत में प्रवेश/से निकास के लिए गोवा राज्य के मनोहर अंतराष्ट्रीय विमानपत्तन, मोपा को प्राधिकृत आव्रजन चेक पोस्ट के रूप में अभिहित किया गया है।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी 9685/17/23]

(6) केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 की धारा 22 की उप-धारा (3) के अंतर्गत केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, सुरक्षा स्कंध (अधीनस्थ रैंक), समूह 'ख' और समूह 'ग' पद (संशोधन) भर्ती नियम, 2023, जो 16 मार्च, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.195(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी 9686/17/23]

… (व्यवधान)

[अनुवाद]

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी शोभा कारान्दलाजे): महोदय, मैं सभा पटल पर रखने के लिए अनुरोध करती हूँ:-

(1) कीटनाशक अधिनियम 1968 की धारा 36 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी एवं अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति:-

(i) कीटनाशी (दूसरा संशोधन) नियम, 2023 जो 23मार्च, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.211(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(ii) कीटनाशी (तीसरा संशोधन) नियम, 2023 जो 6 अप्रैल, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.274(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(iii) कीटनाशी (चौथा संशोधन) नियम, 2023 जो 26 अप्रैल, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा. का. नि.315(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी 9687/17/23]

(2) नाशक कीट और नाशक जीव अधिनियम, 1914 की धारा 4घ के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(i) पादप संघ रोध (भारत में आयात का विनियमन) (पहला संशोधन) आदेश, 2023 जो 21 अप्रैल, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ.1801(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(ii) पादप संघरोध (भारत में आयात का विनियमन) (दूसरा संशोधन) आदेश, 2023 जो 10मई, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ.2153(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(iii) पादप संघरोध (भारत में आयात का विनियमन) (तीसरा संशोधन) आदेश, 2023 जो 31 मई, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ.2360(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(iv) पादप संघरोध (भारत में आयात का विनियमन) (चौथा संशोधन) आदेश, 2023 जो 19 जून, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ.2680(अ) में प्रकाशित हुए था।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी 9688/17/23]

[हिन्दी]

माननीय सभापति : श्री कैलाश चौधरी जी।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : श्री अर्जुन राम मेघवाल जी।

… (व्यवधान)

विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री; संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): सभापति महोदय, श्री कैलाश चौधरी की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) उर्वरक (अकार्बनिक, कार्बनिक या मिश्रित) (नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2023 जो 8 फरवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ.623(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(दो) उर्वरक (अकार्बनिक, कार्बनिक या मिश्रित) (नियंत्रण) दूसरा संशोधन आदेश, 2023 जो 3 मार्च, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ.1011(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(तीन) का.आ. 1012(अ) जो 2 मार्च, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 23 सितम्बर, 2022 की अधिसूचना सं. का.आ. 4496(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(चार) का.आ. 1025(अ) जो 2 मार्च, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा मैसर्स इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर को-ऑपरेटिव द्वारा विनिर्मित किए जाने वाले नैनो डाई अमोनियम फास्फेट उर्वरक (तरल) के विनिर्देश को राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीन वर्षों की अवधि के लिए अधिसूचित किया गया है।

(पांच) का.आ. 1026(अ) जो 2 मार्च, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा मैसर्स कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड द्वारा भारत में

विनिर्मित किए जाने वाले नैनो डाई अमोनियम फास्फेट उर्वरक (तरल) के विनिर्देश को राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीन वर्षों की अवधि के लिए अधिसूचित किया गया है।

(छह) का.आ. 1048(अ) जो 6 मार्च, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा मैसर्स राय नैनो साइंस एण्ड रिसर्च सेंटर द्वारा भारत में विनिर्मित किए जाने वाले नैनो यूरिया के विनिर्देश को राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीन वर्षों की अवधि के लिए अधिसूचित किया गया है।

(सात) उर्वरक (अकार्बनिक, कार्बनिक या मिश्रित) (नियंत्रण) तीसरा संशोधन आदेश, 2023 जो 2 मार्च, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ.1024(अ) में प्रकाशित हुआ था।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी 9689/17/23]

(2) कृषि उपज (श्रेणीकरण और चिह्नांकन) अधिनियम, 1937 की धारा 3 की उप-धारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) नामित आटा श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम, 2023 जो 15 मार्च, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.191(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) सूखी अंजीर श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम, 2023 जो 15 मार्च, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.190(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी 9690/17/23]

… (व्यवधान)

उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी. एल. वर्मा): आदरणीय सभापति महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) (एक) राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी 9691/17/23]

… (व्यवधान)

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी प्रतिमा भौमिक): माननीय सभापति महोदय, मैं नेशनल हैंडीकैप्ड फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन तथा दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के बीच वर्ष 2022-2023 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखती हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी 9692/17/23]

… (व्यवधान)

[अनुवाद]

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. एल. मुरुगन): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :-

(1) प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) अधिनियम, 1990 की धारा 34 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(i) प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) आशुलिपिक पद (संशोधन) भर्ती नियम, 2023 जो 20 जून, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा. का. नि.451(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(ii) ऑल इंडिया रेडियो (पुस्तकालय पद) भर्ती नियम, 2023 जो 13 जनवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.288(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(iii) दूरदर्शन सहायक निदेशक (राजभाषा) भर्ती नियम, 2019 जो 17 अप्रैल, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.293(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(2) उपर्युक्त (1) की मद संख्या (एक) और (तीन) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिये संख्या एल.टी.9693/17/23]

(3) (एक) प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम), नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो...) प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम), नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिये संख्या एल.टी.9694/17/23]

———————

[हिन्दी]

माननीय सभापति : आइटम नं. 9; डॉ. सत्यपाल सिंह जी।

… (व्यवधान)

अपराह्न 2.02 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति

130वें से 141वें प्रतिवेदन

श्री गिरीश चन्द्र (नगीना): सभापति महोदय, मैं, सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति (2022-23) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं:-

(1) विद्युत मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (जेईआरसी) के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब संबंधी 130वां प्रतिवेदन।

(2) शिक्षा मंत्रालय (उच्चतर शिक्षा विभाग) के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, चित्तूर के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब संबंधी 131वां प्रतिवेदन।

(3) रेल मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत सेंटर फॉर रेलवे इन्फॉर्मेशन सिस्टम (सीआरआईएस) के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब संबंधी 132वां प्रतिवेदन।

(4) मौलाना आजाद एजूकेशन फाउंडेशन, नई दिल्ली के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के बारे में समिति के 25वें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में समिति द्वारा की गई सिफारिशों/टिप्पणियों पर अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 133वां प्रतिवेदन।

(5) राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (नाईपर), रायबरेली के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के बारे में समिति के 28वें

प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में समिति द्वारा की गई सिफारिशों/ टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 134वां प्रतिवेदन।

(6) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, लखनऊ, उत्तर प्रदेश, अब जिसका विलय यू.पी. एजूकेशन फॉर ऑल प्रोजेक्ट बोर्ड (समग्र शिक्षा), लखनऊ में हो गया है, के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के बारे में समिति के 37वें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में समिति द्वारा की गई सिफारिशों/ टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 135वां प्रतिवेदन।

(7) एयरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी (एडीए), बेंगलुरु के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के बारे में सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति के 50वें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में समिति द्वारा की गई सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 136वां प्रतिवेदन।

(8) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जमशेदपुर के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के बारे में समिति के 51वें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में समिति द्वारा की गई सिफारिशों/टिप्पणियों पर शिक्षा मंत्रालय (उच्चतर शिक्षा विभाग) द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 137वां प्रतिवेदन।

(9) एजूकेशनल कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड (एडसिल), नोएडा के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के बारे में समिति के 64वें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में समिति द्वारा की गई सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 138वां प्रतिवेदन।

(10) राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान (एनआईईएसबीयूडी), नोएडा के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के बारे में समिति के 65वें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में समिति द्वारा की गई

सिफारिशों/टिप्पणियों पर कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 139वां प्रतिवेदन।

(11) केंद्रीय तिब्बती स्कूल प्रशासन (सीटीएसए), दिल्ली के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के बारे में समिति के 67वें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में समिति द्वारा की गई सिफारिशों/टिप्पणियों पर शिक्षा मंत्रालय (स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग) द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 140वां प्रतिवेदन।

(12) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, सिक्किम के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के बारे में समिति के 52वें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में समिति द्वारा की गई सिफारिशों/टिप्पणियों पर शिक्षा मंत्रालय (उच्चतर शिक्षा विभाग) द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 141वां प्रतिवेदन।

———

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : आइटम नं. 11; श्री जगदम्बिका पाल जी।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : श्री शिवकुमार उदासी जी।

… (व्यवधान)

<u>अपराह्न 02.02½ बजे</u>

<u>ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति</u>

36वीं से 38वीं रिपोर्ट

[अनुवाद]

श्री एस.सी. उदासी (हावेरी): महोदय, मैं ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति (2022-23) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूँ:-

(1) 'भारत में ज्वारीय ऊर्जा का विकास' विषय के बारे में समिति के 20वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की- गई- कार्रवाई संबंधी 36वां प्रतिवेदन।

(2) 'नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में वित्तीय बाधाएं' विषय के बारे में समिति की 21वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की- गई- कार्रवाई संबंधी 37वां प्रतिवेदन।

(3) 'भारत में पवन ऊर्जा का मूल्यांकन' विषय के बारे में समिति के 27वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की- गई- कार्रवाई संबंधी 38वां प्रतिवेदन।

———

अपराह्न 02.03 बजे

विदेशी मामलों संबंधी स्थायी समिति

22वाँ प्रतिवेदन

[हिन्दी]

श्री पी. पी. चौधरी (पाली): सभापति महोदय, मैं 'भारत की नेबरहुड फर्स्ट नीति' विषय के बारे में विदेशी मामलों संबंधी स्थायी समिति (17वीं लोक सभा) का 22वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

———————

… (व्यवधान)

[हिन्दी]

माननीय सभापति : आइटम नं. 13; श्री भर्तृहरि महताब जी।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : श्री नायब सिंह जी।

… (व्यवधान)

<u>अपराह्न 02.04 बजे</u>

<u>श्रम, वस्त्र और कौशल विकास संबंधी स्थायी समिति</u>

विवरण

श्री नायब सिंह सैनी (कुरुक्षेत्र): आदरणीय सभापति जी, मैं, श्रम, वस्त्र और कौशल विकास संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा आगे की-गई-कार्रवाई दर्शाने वाले चार विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) वस्त्र मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगों (2021-22)' के बारे में 18वें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 27वां प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा)।

(2) कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगों (2021-22)' के बारे में 19वें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 28वां प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा)।

(3) वस्त्र मंत्रालय से संबंधित 'राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईएफटी) का कार्यकरण' विषय के बारे में 20वें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 29वां प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा)।

(4) कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगों (2022-23)' के बारे में 32वें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 40वां प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा)।

———————

… (व्यवधान)

<u>अपराह्न 02.05 बजे</u>

मंत्री द्वारा वक्तव्य

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2023-24) के बारे में शिक्षा, महिला, बाल, युवा और खेल संबंधी स्थायी समिति के 351वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति[4*]

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निशीथ प्रामाणिक): सभापति महोदय, मैं अपने वरिष्ठ साथी श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी की ओर से युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2023-24) के बारे में, शिक्षा, महिला, बाल, युवा और खेल संबंधी स्थायी समिति के 351वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं। … (व्यवधान)

[4*] *सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 9678/17/23.

[हिन्दी]

माननीय सभापति : आईटम नंबर - 9, श्री अधीर रंजन चौधरी जी।

… (व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): सर, शुरू के दिन से हम एक ही गुहार लगा रहे हैं कि मणिपुर पर चर्चा की जाए। ... (व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय सभापति: नहीं, ऐसा नहीं।

… (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

श्री अधीर रंजन चौधरी : मणिपुर के जो हालात होते जा रहे हैं, उस पर सदन में चर्चा की जाए। ... (व्यवधान)

माननीय सभापति : अधीर जी, केवल पेपर लेइंग कीजिए। अधीर दा, आप बहुत वरिष्ठ सांसद हैं।

आईटम नंबर – 15, श्री अजय मिश्रा जी।

… (व्यवधान)

<u>अपराह्न 02.06 बजे</u>

<u>समिति के लिए निर्वाचन</u>

राजभाषा समिति

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय मिश्र टेनी): सभापति महोदय, श्री अमित शाह जी की ओर से मैं प्रस्ताव करता हूँ:

"कि राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 4 की उप-धारा 2 के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य एकल संक्रमणीय मत द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार श्री बालूभाई उर्फ सुरेश नारायण धानोरकर, जिनका 30 मई, 2023 को निधन हो गया था

के स्थान पर अपने में एक सदस्य को राजभाषा समिति के सदस्य के रूप में निर्वाचित करें।"

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

"राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 4 की उप-धारा 2 के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य एकल संक्रमणीय मत द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार श्री बालूभाई उर्फ सुरेश नारायण धानोरकर, जिनका 30 मई, 2023 को निधन हो गया था *के स्थान पर* अपने में एक सदस्य को राजभाषा समिति के सदस्य के रूप में निर्वाचित करें।"

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।</u>

———————

[हिन्दी]

माननीय सभापित : आईटम नंबर – 16 – श्री प्रहलाद जोशी।

अपराह्न 02.06½ बजे

कार्य मंत्रणा समिति के बयालीसवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्री, कोयला मंत्री तथा खान मंत्री (श्री प्रहलाद जोशी): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ:

"कि सभा 24 जुलाई, 2023 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति की बयालीसवें प्रतिवेदन से सहमत है।

[हिन्दी]

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

"कि यह सभा 24 जुलाई, 2023 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के बयालीसवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

———————

… (व्यवधान)

[हिन्दी]

माननीय सभापति : प्लीज़ बैठ जाइए। कार्यवाही चलने दीजिए। आप चर्चा चाहते हैं तो अपनी सीट पर जाइए।

… (व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय सभापति : कृपया अपने स्थान पर वापस जाएं।

...(व्यवधान)

<u>अपराह्न 02.07 बजे</u>

नियम 377[5*] के अधीन मामले

[हिन्दी]

माननीय सभापति : जिन माननीय सदस्यों को आज नियम 377 के अधीन मामलों को उठाए जाने की अनुमति दी गई है, वे अपने मामलों के अनुमोदित पाठ को 20 मिनट के अंदर व्यक्तिगत रूप से सभा पटल पर रख दें।

… (व्यवधान)

(एक) कालाहांडी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में इलेक्ट्रिक लोको पीरियोडिकल ओवरहॉलिंग वर्कशॉप स्थापित किए जाने की आवश्यकता।

श्री बसंत कुमार पंडा (कालाहांडी): मेरा क्षेत्र कालाहांडी देश का बहुत पिछड़ा क्षेत्र है, जिसमे दो जिलों नुआपड़ा और कालाहांडी आते है जो कि आज भी कई सुविधाओं से वंचित है और दोनों जिले ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी के परिकल्पना के अनुसार आकांक्षी जिला है। लोग काम के आभाव में राज्य को छोड़कर दूसरे राज्यों में पलायन करते है। मैं माननीय रेल मंत्री जी से आग्रह करना चाहूँगा कि केंद्रीय सरकार ने मेरे जिले कालाहांडी के नरला विधानसभा में एक नई रेलवे परियोजना "इलेक्ट्रिक लोको

[5*] सभा पटल पर रखे गए माने गए।

पेरिओडिकल ओवरहालिंग वर्कशॉप" रु. 186.37 करोड़ रूपये की लागत से मंजूरी दी है। लेकिन अब तक कार्य आरंभ नहीं हुआ। इस परियोजना के लिए ओडिश सरकार द्वारा 328.35 एकड़ जमीन रेलवे को प्रदान की जानी है, कार्य आरंभ करने के लिए 80% भूनि में से 65% भूमि रेलवे द्वारा अधिग्रहित की जा चुकी है, जिस पर कार्य आरंभ किया जा सकता है। मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि उक्त महत्वपूर्ण परियोजना को गंभीरता से ध्यान में रखते हुए जल्द से जल्द रेलवे द्वारा अधिग्रहित भूमि पर कार्य प्रारंभ किया जाए, साथ ही 35% भूमि आबंटन के लिए राज्य सरकार को निवेदन करें ताकि एक उद्योग की भी शुरुआत हो जाए और रोजगार का भी सृजन हो सकें। भारत को आत्मनिर्भर बनाने के तर्ज पर और नए रोजगार स्थापित करने के लिए यह कार्य बहुत ही आवश्यक है।

(दो) देश में घुमंतू एवं अर्धघुमंतू जनजातियों के शैक्षणिक, सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान के बारे में।

श्री रमाकान्त भार्गव (विदिशा): विमुक्त घुमंतू और अर्द्ध घुमंतू जाति के परिवारों के लिए भारत सरकार द्वारा इन समुदायों की पहचान करने के लिए वर्ष 2008 में रेनके आयोग एवं 2018 में इदाते आयोग का गठन किया गया था। समुदाय की प्रमुख समस्याएं विपन्नता एवं घुमंतू प्रवृत्ति होने के कारण स्थाई आवास ना होना है, साक्षरता प्रतिशत का न्यूनतम होना, स्थाई एवं पक्के आवास की समस्या, बहुतायत आबादी का गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन, सामाजिक दूरी, कुछ जातियों की शिकारी एवं अन्य अपराधिक प्रवृत्तियों में संलग्नता पुनर्वास की समस्या एवं बेरोजगारी है उक्त जाति घुमक्कड़ एवं अर्द्ध घुमक्कड़ होने से जिलेवार अधिकृत जनसंख्या की जानकारी का अभाव है एवं उक्त समुदायों की भारत एवं मध्य प्रदेश में विस्तृत जानकारी उपलब्ध नहीं है। मैं माननीय मंत्री महोदय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय से अनुरोध करता हूं कि मध्यप्रदेश में निवासरत विमुक्त घुमंतू एवं अर्ध घुमंतू समुदायों के परिवारों का चिह्न अंकन एवं रजिस्ट्रेशन कर तदुपरांत उनके लिए योजनाएं तैयार कर उनके शैक्षणिक सामाजिक एवं आर्थिक स्तर का उन्नयन कर उनको मुख्यधारा से जोड़ने का कार्य कराने का कष्ट करें।

(तीन) महाराष्ट्र में ओबीसी सूची में 'धनगढ़' की वर्तनी में सुधार करके 'धंगर' किए जाने की आवश्यकता।

श्री रंजीतसिन्हा हिंदूराव नाईक निम्बालकर (माधा): धनगर जनजाति देश के कई राज्यों- महाराष्ट्र, कर्णाटक, गोवा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में विद्यमान एक घुमंतु चरवाहा जनजाति है। महाराष्ट्र में तथा मुख्य रूप से मराठवाडा क्षेत्र में यह जनजाति काफी बड़ी संख्या में विद्यमान है। यह जनजाति सामाजिक, आर्थिक व शैक्षिक दृष्टि से काफी पिछड़ी हुई है। पूरे देश में इस जनजाति को अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता मिली हुई है परन्तु महाराष्ट्र की अनुसूचित जनजाति की सूची में टाइपिंग की गलती के कारण इस जनजाति का नाम 'धनगर' के स्थान पर 'धनगढ' टाईप हो गया है तथा वर्तमान में यह जनजाति महाराष्ट्र की अनुसूचित जनजाति की सूची में क्रमांक 36 पर 'धनगढ' शब्द के रूप में उल्लिखित है। वास्तविकता यह है कि महाराष्ट्र में धनगढ़ नाम की कोई जनजाति है ही नहीं और वहीं दूसरी और महाराष्ट्र के धनगर जनजाति के लोग टाइपिंग की गलती की वजह से अनूसूचित जनजाति को वाले सरकारी सुविधाओं से बिगत 70 सालों से वंचित है। मेरा अनुरोध है कि महाराष्ट्र की अनुसूचित जनजाति की सूची में क्रमांक 36 पर उल्लिखित 'धनगढ' शब्द के स्थान पर 'धनगर' शब्द अतिस्थापित किए जाने हेतु शीघ्रातिशीघ्र अधिसूचना जारी करवाने की कृपा करें ताकि सदियों से शोषित व वंचित 'धनगर' समाज को न्याय मिले तथा उन्हें अनुसूचित जनजाति को मिलने वाले सभी सुविधाओं के लाभ सहित तत्संबंधी प्रमाणपत्र जारी किए जा सके।

(चार) महराजगंज संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की प्रत्येक पंचायत में किसानों के लिए मोबाइल प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल (महाराजगंज): हमारे देश में लगभग 60% जनसंख्या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर आधारित है। इस परिस्थिति में स्वाभाविक है कि देश के सभी हिस्सों में किसानों की आबादी कमोवेश इसी अनुपात में होगी। मेरा भी संसदीय क्षेत्र महाराजगंज, बिहार, एक ग्रामीण और कृषि बाहुल्य क्षेत्र है, जहां पर प्रत्येक प्रकार के फसलों का उत्पादन किसानों द्वारा किया जाता है। हमारे क्षेत्र के किसान आज भी समुचित प्रशिक्षण के अभाव में खेती कर फसलों के उत्पादन करने में पिछड़े हैं। इसलिए हमारे क्षेत्र के किसानों को विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता है। किसानों के विशेष प्रशिक्षण के लिए मेरे क्षेत्र के प्रत्येक पंचायत में नए रूप में "चलंत किसान प्रशिक्षण केंद्र का शुभारम्भ कर अधिक से अधिक किसानों को में प्रशिक्षण दिया जा सकता है। इससे हमारे किसान अधिक से अधिक उत्पादन कर अपनी आय में बढ़ोतरी करते हुए अपना जीवन बेहतर बना सकते हैं। अतः सरकार से आग्रह है कि मेरे संसदीय क्षेत्र के प्रत्येक पंचायतों में किसानों के लिए चलंत किसान प्रशिक्षण केंद्र खुलवाया जाए।

[अनुवाद]

(पांच) देश में शैक्षणिक संस्थानों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के उपयोग को विनियमित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

श्री पी. पी. चौधरी (पाली): नवंबर 2022 से, कई जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर टूल्स से दुनिया में बहुत बड़ा बदलाव आया है। चैट जीपीटी को नवंबर 2022 में लॉन्च किया गया था और यह निःशुल्क सॉफ्टवेयर है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके मूल विषयों और समाधानों को उत्पन्न कर सकता है। तब से इसी तरह के कई चैट बॉट लॉन्च किए जा चुके हैं, जैसे कि गूगल का बार्ड और माइक्रोसॉफ्ट की बिंग चैट। विद्यार्थी आजकल अपने शैक्षणिक दायित्वों को पूरा करने के लिए इन उपकरणों का काफी अधिक उपयोग कर रहे हैं। दुनिया भर के विश्वविद्यालय और स्कूल विद्यार्थियों द्वारा प्रौद्योगिकी के दुरुपयोग से काफी चिंतित हैं जो एआई-जनरेटेड काम को अपना काम बताकर प्रस्तुत करते हैं क्योंकि इसका छात्रों के बौद्धिक स्तर पर विनाशकारी प्रभाव पड़ेगा । भारत में बैंगलोर के आर.वी. विश्वविद्यालय ने चैट जी.पी.टी. के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। सी.बी.एस.ई. ने भी बोर्ड परीक्षा के दौरान चैट जी.पी.टी. के उपयोग के खिलाफ दिशानिर्देश जारी किए हैं। अनैतिक उपयोग और साहित्यिक चोरी ही चिंता का विषय नहीं हैं। इन टूल्स के द्वारा अक्सर गलत और पुरानी जानकारी प्रदान की गई है। जेनरेटिव टूल्स का उपयोग करने में विद्यार्थियों को कोई भी प्रयास करने की आवश्यकता नहीं होती है, इससे शैक्षणिक कार्य का लक्ष्य वास्तव में उनके बौद्धिक स्तर को बढ़ाने का लक्ष्य पूरी तरह से विफल हो जाता है। इसके अलावा, किसी भी तथ्य-जांच के बिना, विद्यार्थी अनजाने में झूठी और पुरानी जानकारी पर भरोसा कर लेते हैं। इसलिए, मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि शैक्षणिक संस्थानों में एआई के उपयोग को विनियमित किया जाए और छात्रों को शैक्षणिक क्रियाशीलता के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान किया जाए।

(छह) झारखण्ड के संथाल परगना क्षेत्र में जरमुंडी (दुमका), देवघर एवं महगामा (गोड्डा) में तीन केन्द्रीय विद्यालयों की स्थापना किए जाने के बारे में।

डॉ. निशिकान्त दुबे (गोड्डा): झारखंड में संथाल परगना और छोटा नागपुर दो प्रमुख क्षेत्र हैं। निस्संदेह, नक्सलवाद का प्रसार हताशा और अलगाव की भावना का एक संकेत है जो झारखंड के संथाल परगना क्षेत्र में लोगों के बड़े वर्ग में फैल रहा है जो न केवल व्यवस्थित रूप से हाशिए पर रखा गया है बल्कि अपने ही देश में क्रूरतापूर्वक शोषण के शिकार हुआ है और बेदखल भी हुआ है। संथाल परगना की सामाजिक-आर्थिक समस्या को ध्यान में रखते हुए, जहां लोगों के लिए कृषि ही केवल आय का मुख्य स्रोत है, हमें वहां कार्य से जुड़ी व्यापक योजना की तत्काल आवश्यकता महसूस हो रही है, जिसमें रोज़गार अनुकूल शिक्षा के अच्छे और समान अवसर पर विशेष जोर दिया जाए। देश के सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक रूप से पिछड़े जिलों में देवघर, गोड्डा, जामताड़ा, पकुर, साहिबगंज और दुमका के संथाल परगना जिले शामिल हैं। अगर हम स्वास्थ्य, शिक्षा, आय, आदि के आंकड़ों पर एक नज़र डालें तो हमें वहां की जनसंख्या की दयनीय स्थिति देखने को मिलेगी। झारखंड एक समृद्ध राज्य है। इन क्षेत्रों में भारत के खनिज संसाधनों का 40% उपलब्ध है, लेकिन संसाधनों तक पहुंच से आम लोगों के जीवन में कोई खास फर्क नहीं पड़ा है। गरीबी और अज्ञानता अभी भी कम साक्षरता दर, स्कूल में कम उपस्थिति और बड़े पैमाने पर स्कूल छोड़ने के कारण हैं। इसलिए, मैं तीन केंद्रीय विद्यालय स्थापित करने की आवश्यकता की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। संथाल परगना क्षेत्र में जरमुंडी (दुमका), देवघर और महगामा (गोड्डा) आदर्श स्थान होंगे।

(सात) झारखंड के सिंहभूम जिले में वन क्षेत्रों के पास खोदी गई खाइयों को भरे जाने और हाथी के हमले में मारे गए लोगों के परिवार के सदस्यों को मुआवजा दिए जाने की आवश्यकता।

श्री बिद्युत बरन महतो (जमशेदपुर): जमशेदपुर संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत पूर्वी सिंहभूम जिला के बहरागोड़ा विधानसभा के चाकुलिया प्रखण्ड में जंगली हाथियों का प्रकोप काफी बढ़ा हुआ है। यह ज्ञातव्य है कि उक्त विधानसभा क्षेत्र पश्चिम बंगाल की सीमा से सटा हुआ है और वन विभाग के द्वारा ट्रेंच (गड्ढा) खोद देने के कारण जंगली जानवर ट्रेंच को पार करके जंगलों में ना जाकर गांवों में प्रवेश कर रहे हैं और आमजन को काफी क्षति पहुंचा रहे हैं। किसानों की खेती का नुकसान एवं मकान की क्षति पहुंचाई जा रही है। यहां तक कि अभी विगत दिनों 9 लोगों की मृत्यु हाथियों के द्वारा पटक-पटक कर मारने से हुई है। उनकी मृत्यु होने पर विभाग के द्वारा उनके परिवार को मुआवजे की राशि देने में काफी विलंब किया जाता है। परंतु फसलों के नष्ट होने पर जो मुआवजे की राशि मिलती है वह बहुत कम है। साथ ही व्यक्तियों की मृत्यु होने एवं फसलों के नष्ट होने पर मुआवजे की राशि मिलने में काफी विलंब होता है तथा उक्त मुआवजे की राशि के संबंध में लोगों को यहाँ तक कि वन विभाग के पदाधिकारियों को भी विस्तृत जानकारी नहीं रहने के कारण पीड़ित परिवारों को उचित एवं समय पर क्षतिपूर्ति का मुआवजा नहीं मिल पाता है।

अतः मेरा वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार से अनुरोध है कि उक्त ट्रेंच को भरवाने एवं मुआवजे की राशि बढ़ाने के साथ-साथ संबंधित व्यक्तियों/ किसानों को समय मुआवजा प्रदान कराने की कृपा की जाए।

(आठ) ईपीएस-95 अंतर्गत पेंशन की राशि को बढ़ाए जाने की आवश्यकता।

प्रो. रीता बहुगुणा जोशी (इलाहाबाद):मैं माननीय श्रम एवं रोजगार मंत्री जी का ध्यान वृद्ध ई.पी.एस.95 पेंशनरों की मांग की ओर आकर्षित करना चाहूंगी।

देश के 70 लाख औद्योगिक/सार्वजनिक/सहकारी निजी क्षेत्रों से सेवानिवृत्त ई.पी.एस. 95 पेंशनरों द्वारा अपने सेवाकाल में देश के नवनिर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। परंतु आज वह दयनीय आर्थिक स्थिति से गुजर रहे हैं । अपने सेवाकाल के दौरान 470 रुपए, 541 रुपए तथा 1250 रुपए प्रतिमाह पेंशन फंड में जमा कराने के बाद भी वर्तमान में उन्हें अधिकतम 1171 रुपए मिलते हैं । इससे उनके रोजमर्रा के कार्य भी पूरे नहीं हो पा रहे हैं । माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 4.10.2016 एवं 04.011.2022 के आपेक्ष में इनके पेंशन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आग्रह करती हूं । मेरा यह अनुरोध है कि ई.पी.एस.-95 के पेंशनरों को इनके मांगानुसार न्यूनतम 7500 रूपए (महंगाई भत्ते के साथ) प्रदान किया जाए तथा इन लाभार्थियों के पति पत्नी को मुफ्त चिकित्सा सुविधा भी दी जाए।

(नौ) महाराष्ट्र के सरकारी अस्पतालों में महिलाओं में संतानहीनता के इलाज की सुविधा उपलब्ध कराए जाने और राज्य के अस्पतालों में आईवीएफ केंद्र भी स्थापित किए जाने की आवश्यकता।

डॉ. जयसिद्धेश्वर शिवाचार्य स्वामीजी (शोलापुर): बांझपन प्रजनन प्रणाली की एक बीमारी है जिसमें शरीर का सबसे बुनियादी कार्य बच्चे पैदा करना नष्ट हो जाता है। गर्भवती होना एक जटिल प्रक्रिया है जो कई कारकों पर निर्भर करता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट के अनुसार, दुनिया में हर छह में से एक व्यक्ति बांझपन से पीड़ित है। उच्च, मध्यन और निम्न आय वर्ग वाले देशों के लिए यह अनुपात थोड़ा अधिक है। उच्च आय वर्ग वाले देशों में 17.8 प्रतिशत वयस्क बांझपन से पीड़ित हैं, जबकि निम्न आय वाले देशों में यह आंकड़ा 16.5 प्रतिशत है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि दुनिया भर के सभी देशों में बांझपन का इलाज आसानी से उपलब्ध होना चाहिए। आईवीएफ के दौरान, अंडाशय से परिपक्व अंडे एकत्र (प्राप्त किए जाते हैं और प्रयोगशाला में शुक्राणु द्वारा निषेचित किए जाते हैं। फिर निषेचित अंडे (भ्रूण) या अंडे (भ्रूण) को गर्भाशय में स्थानांतरित कर दिया जाता है। आईवीएफ के एक पूरे चक्र में लगभग तीन सप्ताह लगते हैं। कभी-कभी ये चरण अलग-अलग भागों में विभाजित हो जाते हैं और इस प्रक्रिया में अधिक समय लग सकता है।

भारत देश के विभिन्न राज्य में प्राईवेट आईवीएफ सेंटर उपलब्ध है। इस वर्ष गोवा राज्य के आरोग्य मंत्रालय द्वारा वंधत्व निवारण केंद्र शुरू किया जा रहा है। महाराष्ट्र में निजी अस्पताल मे वंध्यत्व निवारण केंद्र लगभग हर जिले में है। इसमें उपचार लेने वाले मरीजों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। आईवीएफ उपचार के लिए आनेवाला खर्च लगभग लाखों में होने के कारण आम आदमी और विशेष करके गरीब परिवार इस उपचार से वंचित रहता है। इसलिए भारत सरकार के स्वास्थ मंत्रालय से नम्र निवेदन करता हूँ कि महाराष्ट्र के जिल्हा सरकारी अस्पताल में या सरकारी मेडिकल कॉलेज मे वंधत्व निवारण केंद्र शुरू करने बाबत योग्य कदम उठाये जाये और यह आईवीएफ सेंटर शुरू करने के लिये महाराष्ट्र सरकार को आर्थिक सहायता प्रदान करे।

(दस) बिहार में मुजफ्फरपुर-जनकपुर-उरई सड़क की मरम्मत तथा बागमती नदी पर पुल निर्माण के बारे में।

श्री अजय निषाद (मुजफ्फरपुर): बिहार प्रदेश अन्तर्गत अपने संसदीय क्षेत्र मुजफ्फरपुर स्थित मुजफ्फरपुर- जनकपुर वाया औराई सड़क मार्ग के जीर्णोद्धार एवं बभनगामा घाट पर बागमती नदी में पुल निर्माण कराये जाने की ओर मैं केन्द्र सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ। प्राचीन काल से ही मुजफ्फरपुर से जनकपुर नेपाल जाने के लिए गरहा-हथौड़ी-अमनौर-औराई- पुपरी होते हुए सड़क की उपलब्धता रही है। यह सड़क अंतरराष्ट्रीय स्तर की रही है। भौगोलिक उथल-पुथल व बागमती नदी पर पुल न होने के कारण विगत कई वर्षों से यह सड़क बाधित है। इसी मार्ग में बागमती नदी आती है, जिसके उत्तरी व दक्षिणी बाँधों के बीच बभनगामा घाट पर पुल न होने के कारण लाखों लोगों को आवागमन की परेशानियाँ सालों से बनी हुई है। मैंने अपने पत्र के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री, भारत सरकार को पुल निर्माण और उपरोक्त सड़क नर्ग के जीर्णोद्धार के लिए आग्रह किया था लेकिन मुझे सूचित किया गया कि यह सड़क राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं है बल्कि बिहार सरकार के पथ निर्माण विभाग के मातहत आता है। तदुनोरांत मैंने इसे बिहार सरकार के सामने भी कई बार उठाया है लेकिन बिहार सरकार की उदासीनता और आमजनों की परेशानियों के मद्देनजर मैं पुनः केन्द्र सरकार से माँग करना चाहूँगा कि बिहार सरकार को केन्द्र के स्तर से निदेर्शित किया जाए ताकि बिहार सरकार प्राथमिकता के आधार पर उक्त सड़क का जीर्णोद्धार एवं बागनती नदी के बभनगामा घाट पर पुल का निर्माण कराया जाए।

(ग्यारह) दिल्ली में बाढ़ नियंत्रण उपायों और दिल्ली में हाल ही में आई बाढ़ से प्रभावित लोगों को मुआवजे के भुगतान के बारे में।

श्री मनोज तिवारी (उत्तर पूर्व दिल्ली): मैं सरकार का ध्यान दिल्ली में आई बाढ़ की विभीषिका और उसके बाद बिस्थापित हुए हजारों लोगों के नुकसान की ओर दिलाना चाहता हूं। भारी तबाही के बीच हमारे संसदीय क्षेत्र उत्तर पूर्वी दिल्ली के बुराड़ी, जगतपुर गांव, वजीराबाद गांव, सोनिया विहार, बदरपुर, खादर, सभापुर गांव, श्री राम कॉलोनी, करावल नगर, यमुना विहार, करतार नगर, सीलमपुर, शास्त्री पार्क, खजूरी खास, भजनपुरा तथा गोपालपुर गांव के लाखों लोग बाढ़ की बिभीषिका से प्रभावित हुए और इन क्षेत्र और यमुना के बीच बने दोनों ओर मार्जिनल बांधों में कहीं दरार आई तो कहीं बड़े रिसाब से यमुना का पानी घनी आबादी में घुस गया 2019 में जब 8 लाख क्यूसेक से अधिक पानी छोड़ा गया तब यमुना का स्तर 207 मीटर के पार कर गया और इस बार जब उससे कहीं कम पानी हथिनी कुंड बैराज से छोड़ा गया तो यमुना का जल स्तर 208 मीटर के पार चला गया स्थिति साफ है कि यमुना की सफाई नहीं की गई। यमुना के दोनों तरफ बने मार्जिनल बांधों को मजबूत नहीं बनाया गया और दोनों तरफ घनी आबादी वाले क्षेत्रों में पानी निकासी की व्यवस्था दुरुस्त नहीं की गई, जिसकी वजह से बढ़कर प्रकोप से अधिक से अधिक नुकसान हुआ। मैं संबंधित मंत्रालय से निवेदन करना चाहता हूं कि दिल्ली सरकार के बीते 4 साल में बाढ़ नियंत्रण पर किए गए खर्च की जांच कराई जाए। बदरपुर, खादर गांव से नानकसर टी पॉइंट वजीराबाद रोड तक के बांध का शीघ्र दोहरीकरण किया जाए, जिसका कार्य 20 अक्टूबर 2021 को मेरे द्वारा प्रस्तावित किया गया था तथा सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग के अधीन लंबित है। नानकसर से कश्मीरी गेट पुल के बीच एक वैकल्पिक मार्जिनल बांध बनाया जाए और उपरोक्त कॉलोनी गांव और घनी आबादी वाले क्षेत्रों में पानी निकासी के माध्यम मौजूद बड़े नालों का पुनर्निर्माण करने के लिए लंबित योजनाओं को शीघ्र पूरा किया जाए, जिससे लाखों लोगों को हर साल आने वाली बाढ़ में पीड़ितों को हुए आर्थिक नुकसान की भरपाई दिया जाए।

(बारह) सलेमपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर रेलगाड़ियों का ठहराव प्रदान किए जाने की आवश्यकता।

श्री रविन्दर कुशवाहा (सलेमपुर): रेलवे भारतीय यात्रा की जीवन रेखा है, जिससे करोड़ों लोग प्रतिदिन यात्रा करते हैं। जब से केन्द्र में विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता आदरणीय श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से रेलवे ने अभूतपूर्व विकास किया है। आज लोगों को विश्वस्तरीय रेल सुविधा मिल रही है, जिसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय रेल मंत्री जी का आभार व धन्यवाद व्यक्त करता हूं। मैं माननीय रेल मंत्री जी को अवगत कराना चाहता हूँ कि कोरोना काल के दौरान लगभग सभी ट्रेनों का संचालन निरस्त कर दिया गया था, बाद में ट्रेनों का संचालन दोबारा शुरू हो गया, परन्तु मेरे संसदीय क्षेत्र सलेमपुर के विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर कुछ ट्रेनों का ठहराव निरस्त कर दिया गया, जहां पूर्व समय से ठहराव चलता आ रहा है। मैं माननीय मंत्री जी से मांग करता हूँ कि मेरे संसदीय क्षेत्र की कुछ और महत्वपूर्ण ट्रेनों का ठहराव यात्री सुविधा हेतु जनहित में अतिआवश्यक है। भाटपार रानी रेलवे स्टेशन पर गाड़ी संख्या- 15203/15204, लखनऊ, बरौनी, गाड़ी संख्या-11123/11124 ग्वालियर, बरौनी, गाड़ी संख्या-15910/15909, डाउन अवध आसाम एक्सप्रेस, बनकटा रेलवे स्टेशन पर - गाड़ी संख्या-15027/15028 मौर्य एम्स्प्रेस, गाड़ी संख्या-11123/11124 अप ग्वालियर बरौनी, सलेमपुर रेलवे स्टेशन पर गाड़ी संख्या-11055/11056 गोदान एक्स्प्रेस, गाड़ी संख्या-180201/180202 दुर्ग एक्सप्रेस, गाड़ी संख्या-15050/49 पूर्वांचल एक्सप्रेस, गाड़ी संख्या-15021/15022 शालीमार एक्सप्रेस, गाड़ी संख्या-11037/11038 पुणे एक्सप्रेस तथा गाड़ी संख्या-19490/19489 गोरखपुर अहमदाबाद एक्सप्रेस, इन सभी ट्रेनों का ठहराव सुनिश्चित किया जाए। साथ ही रेवती स्टेशन जिसे पहले से स्टेशन का दर्जा प्राप्त था उसे पूर्व की भांति रेलवे स्टेशन का दर्जा बरकरार रखा जाए।

(तेरह)हरियाणा के विभिन्न जिलों में 100 बिस्तरों वाले ईएसआईसी अस्पताल स्थापित किए जाने की वर्तमान स्थिति के बारे में।

श्री नायब सिंह सैनी (कुरुक्षेत्र): मैं माननीय श्रम एवं रोजगार मंत्री जी को धन्यवाद करना चाहता हूँ कि कारखानों और विभिन्न प्रतिष्ठानों में कार्यरत श्रमिक/कर्मचारी ई.एस.आई.सी./ सदस्यों को आधुनिक चिकित्सा सेवाएं मुहैया उपलब्ध करने के लिए सौ बैड हॉस्पिटल बनाने की योजना बनाई। यह पंचकूला, सोनीपत, हिसार, रोहतक, अम्बाला, सिरसा और करनाल में ई.एस.आई.सी. की अभी तक केवल डिस्पेंसरी खुली है। कोई बड़ा अस्पताल नहीं है । जिस कारण ई.एस.आई.सी. कार्ड धारकों को उच्च स्तरीय इलाज के लिए फरीदाबाद ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के चक्कर काटने पड़ते हैं। कार्ड धारकों को उनके जिलों में बेहतर इलाज की सुविधा मिल सके, इसको लेकर यह योजना बनाई गई है । वहीं, मेडिकल कॉलेज पर मरीजों का काफी दबाव रहता है । सबसे ज्यादा दिक्कत सिटी स्कैन, एमआरआई व अन्य जांच प्रक्रिया में होती है । यही स्थिति ऑपरेशन के नरीजों को होती है । मरीजों को ऑपरेशन के लिए छह-छह माह का इंतजार करना पड़ता है । इसे देखते हुए कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने हरियाणा प्रदेश के जिलों में सौ-सौ बैड के अस्पताल बनाने की योजना तैयार की है । इनमें मरीजों को उच्च स्तरीय इलाज की सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी । अतः मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन स्वरुप यह जानना चाहता हूँ इन सौ सौ बेड हॉस्पिटल की वर्तमान स्थति क्या है ।

(चौदह) हेज्जाला-चामराजनगर नई ब्रॉड गेज रेल लाइन को पूरा किए जाने के बारे में।

[अनुवाद]

श्री डी.के. सरेश (बैंगलोर ग्रामीण): कनकपुरा के रास्ते हेज्जाला-चामराजनगर नई ब्रॉड गेज रेलवे लाइन वर्ष 2013-14 के दौरान स्वीकृत की गयी थी। कर्नाटक राज्य के भीतर इस परियोजना की कुल लंबाई 152 कि.मी. है। वर्ष 2013 के दौरान रेलवे बोर्ड द्वारा 1382.78 करोड़ रुपये की लागत के विस्तृत अनुमान को भी स्वीकृत किया गया था। कर्नाटक सरकार वर्ष 2014 में 50:50 लागत साझा करने के लिए पहले ही सहमत हो चुकी थी। मैंने कई बार इस मुद्दे को सभा में उठाया। रेल मंत्रियों को कई बार अभ्यावेदन दिए गए। राज्य सरकार ने भी अपने प्रस्ताव भेजे। हालांकि, इस परियोजना के लिए पर्याप्त आवंटन नहीं किया गया है। चामराजनगर से बैंगलोर को जोड़ने वाली यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण रेलवे लाइन है। इसलिए मैं केंद्र सरकार से अनुरोध करता हूँ कि वह इस मामले पर ध्यान दे ताकि रेल लाइन को जल्द से जल्द पूरा किया जा सके।

(पंद्रह) चेन्नई के रोयापुरम में रेलवे प्रिंटिंग प्रेस को बंद करने के निर्णय की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता

डॉ. कलानिधि वीरास्वामी (चेन्नई उत्तर): रेलवे बोर्ड ने चेन्नई में वर्ष 1890 से चल रही रोयापुरम प्रिंटिंग प्रेस सहित पांच रेलवे प्रिंटिंग प्रेस को बंद करने के निर्णय के बारे में सूचित किया है। समय के साथ-साथ, यह प्रिंटिंग प्रेस कंपोजिंग से डी.टी.पी. तकनीक तक विकसित हो गई है और यह अब 15 करोड़ से अधिक की लागत से 2015 में स्पेन से आए रोटटेक मशीन के साथ काम कर रही है। यह प्रेस यात्री आरक्षण प्रणाली टिकट, अनारक्षित टिकट प्रणाली, यात्री समय सारणी और कामकाज समय सारणी, आरक्षण फॉर्म और रेलवे द्वारा अनिवार्य रूप से आवश्यक विभिन्न पुस्तकों और फॉर्मों और सेवा रजिस्टरों की छपाई कर रही है। यदि रोयापुरम प्रेस अब बंद हो जाती है, तो कई करोड़ रुपये की मूल्यवान संपत्ति और हाल ही में खरीदी गई प्रिंटिंग सामग्री को कबाड़ के भाव बेचना पड़ेगा। जो कर्मचारी प्रिंटिंग के काम में अच्छी तरह से प्रशिक्षित हैं, उन्हें असंबंधित काम करने के लिए फिर से नियुक्त करना होगा। इसके अतिरिक्त, यदि प्रिंटिंग के कार्यों को आउटसोर्स किया जाता है, तो धोखाधड़ी की घटनाओं की संभावनाएं बढ़ सकती हैं जैसा कि मीडिया में अक्सर बताया जाता है, और प्रिंटिंग की बढ़ती कीमत से यात्रियों का किराया भी बढ़ सकता है। मैं केंद्र सरकार से अनुरोध करता हूँ कि रोयापुरम, चेन्नई में रेलवे प्रिंटिंग प्रेस को बंद करने के निर्णय की समीक्षा करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं।

(सोलह) धर्मापुरी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में अवसंरचना में सुधार और साहसिक पर्यटन के विकास के लिए विशेष निधियां आवंटित किए जाने की आवश्यकता।

डॉ. डी.एन.वी. सेंथिलकुमार एस. (धर्मपुरी): मैं आप सभी को यह बताना चाहता हूं कि मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। विशेष रूप से, 1. नागामराई, पेननगरम तालुक 2. सिट्लिंगी, हरूर तालुक। नागामराई, पेननगरम तालुक क्षेत्र में मनोरंजक पर्यटन की संभावना है और सिट्लिंगी, हरूर तालुक में साहसिक पर्यटन की। नागामराई और सिट्लिंगी के सुंदर स्थान को एक संभावित पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने से काफी लाभ हो सकता है जबकि नागामराई मेट्टूर बैकवाटर में स्थित है जो नौगम्य है। फिर भी यहाँ बुनियादी सुविधाओं की कमी है। अतः मैं केंद्र सरकार से बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने और इसे संभावित पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए विशेष निधियां आवंटित करने का अनुरोध करता हूँ।

(सत्रह) मणिपुर में कानून एवं व्यवस्था और सांप्रदायिक सौहार्द्र बनाए रखने के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता।

प्रो. सौगत राय (दमदम): मणिपुर में मई महीने से मैतेई और कुकी-ज़ोमी के बीच जातीय हिंसा देखी जा रही है। आदिवासी विद्यार्थी संघ मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने की सिफारिश भेजने के अदालत के आदेश का विरोध कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रही वीडियो में दो कुकी महिलाओं को भीड़ द्वारा नंगा घुमाया जा रहा है। यह घटना कांगपोकपी जिले के बी फीनोम गांव में चल रही झड़पों के एक दिन बाद 4 मई को हुई। तब से, दोनों पक्षों के लोग एक-दूसरे के घरों, वाहनों, चर्चों और मंदिरों पर हमला कर रहे है। अभी तक सैकड़ों लोग मारे जा चुके हैं और लाखों लोग अस्थायी शेड/शेल्टर शिविरों में रह रहे हैं। यूरोपीय संघ और पश्चिमी देशों ने प्रस्ताव पारित कर हिंसा को विभाजनकारी नीतियों का परिणाम बताया है। आपस में झड़प के परिणामस्वरूप दोनों समुदाय पूरी तरह से अलग हो गए हैं। मणिपुर हिंसा गुप्तचर विफलता, भारी सैन्यीकरण और जारी आर्थिक अवरोधों के बारे में चिंता पैदा करती है। मणिपुर में कानून और व्यवस्था का बिगड़ना केंद्र सरकार पर कलंक है और पूर्वोत्तर में नई दिल्ली की दीर्घकालिक रणनीति को एक झटका है। राज्य और केंद्र सरकार दोनों ही राज्य में मानव जीवन और आजीविका की रक्षा करने में विफल हुई हैं। मैं केंद्र सरकार से मणिपुर में कानून और व्यवस्था एवं सांप्रदायिक सौहार्द को बनाए रखने के लिए तत्काल कदम उठाने का अनुरोध करता हूँ।

(अठारह) मुर्शिदाबाद के धुलियान गंगा रेलवे स्टेशन पर एक सबवे का निर्माण किए जाने की आवश्यकता।

श्री खलीलुर रहमान (जंगीपुर):मैं सरकार का ध्यान मुर्शिदाबाद जिले के धुलियान गंगा रेलवे स्टेशन के आसपास के सभी तीन रेलवे क्रॉसिंगों (लॉक गेट संख्या - 45/सी/टी; 44/एस.पी.एल./टी; 43/एस.पी.एल./ई) पर दिन भर रेलवे फाटकों के बार-बार बंद होने के कारण होने वाली मौतों और जाम की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। हमने देखा है कि जनसंख्या के अधिकतम घनत्व के बावजूद, हर बार 5 मिनट के लिए रेलवे फाटक बंद होने से आने जाने वाले हजारों वाहन जाम में बुरी तरह से फंस जाते हैं। एम्बुलेंस में जा रहे गंभीर रोगी भी नियमित रूप से जाम में फंस जाते हैं। यहाँ एम्बुलेंस में अक्सर मौत होती रहती हैं। कई बार मांग करने के बाद भी इस मामले में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। सबसे व्यस्त शहर और झारखंड राज्य का प्रवेश द्वार होने के कारण, धुलियान में अक्सर विद्यार्थी, यात्री वाहन, परिवहन वाहन, मरीज और एम्बुलेंस नियमित आधार पर जाम में फंस जाते हैं। वर्तमान स्थिति में, अनपेक्षित दुर्घटनाओं से बचने के लिए इन रेलवे क्रॉसिंग में से एक रेलवे क्रॉसिंग पर सबवे का निर्माण समय की आवश्यकता बन गया है। मैं इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने की पुरजोर मांग करता हूँ।

(उन्नीस) महिलाओं में एनीमिया के उपचार के बारे में।

श्रीमती वांगा गीता विश्वनाथ (काकीनाडा): राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 (एन.एफ.एच.एस.-5) के अनुसार , 6 से 59 महीने की उम्र के बीच के 67.1% बच्चे, ग्रामीण क्षेत्रों में 15 से 19 वर्ष की आयु के बीच की 56.5% महिलाएं और शहरी क्षेत्रों में 60.2% महिलाएं रक्तअल्पता से पीड़ित हैं। 15 से 49 वर्ष की उम्र के बीच की गर्भवती महिलाओं में से 52.2 % महिलाएं रक्तअल्पता से पीड़ित हैं। किशोरियों के बीच रक्तअल्पता (59.1%) मातृ रक्तअल्पता में बदल जाती है जो मातृ और शिशु मृत्यु दर का कारण बनती है। रक्तअल्पता, बच्चों और किशोरों में सतर्कता के साथ-साथ शारीरिक और संज्ञानात्मक विकास को कम करता है जो भविष्य में उनकी सृजनात्मक क्षमता को प्रभावित करता है। सरकार एनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम के माध्यम से रक्तअल्पता के मामलों को कम करने की दिशा में लगातार काम कर रही है, नियमित रूप से रक्तअल्पता के लिए गर्भवती महिलाओं का परीक्षण कर रही है और उन्हें आयरन और फोलिक एसिड की खुराक प्रदान कर रही है। हालांकि, रक्तअल्पता के वर्तमान स्तरों से लड़ने के लिए व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता है। मैं माननीय महिला और बाल विकास मंत्री से अनुरोध करती हूँ कि स्कूल जाने वाली किशोरियों पर विशेष ध्यान देते हुए डिजिटल तरीकों का उपयोग करके रक्तअल्पता का परीक्षण और उपचार आरम्भ करने का अनुरोध करती हूँ। स्थानीय रूप से उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करके सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों में आयरन युक्त खाद्य पदार्थों को शामिल करके आयरन से भरपूर भोजन का सेवन बढ़ाया जा सकता है। इस समस्या का समयबद्ध तरीके से समाधान करने के लिए सरकार द्वारा पोषण की कमी को एक महत्वपूर्ण संकेतक के रूप में माना जाना चाहिए।

(बीस) 4जी मोबाइल कवरेज के अंतर्गत रत्नागिरी - सिंधुदुर्ग के गांवों को शामिल किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री विनायक भाउराव राऊत (रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग): केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश भर के वंचित गांवों में 4 जी मोबाइल सेवाओं की सहमती के लिए एक सुगम परियोजना को मंजूरी दी है। इसे यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड (यूएसओएफ) के माध्यम से वित्त पोषित किया जाएगा। बीएसएनएल द्वारा निष्पादित किया जाएगा, इस योजना से निश्चित रूप से मोबाइल सेवा में सुधार होगा। मैं सरकार के संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि मेरे संसदीय क्षेत्र रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग के केवल 213 गांवों को इस योजना में शामिल किया गया है और कई गांवों को इस योजना में शामिल नहीं किया गया है, रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग के कई गांवों में दूरसंचार सेवा प्रदाता (टीएसपी) से 4जी मोबाइल सिग्नल कवरेज उपलब्ध नहीं है, जिसके कारण ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यार्थियों, व्यापारियों, छोटे व्यवसायियों सहित अन्य लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग के सारे गांव जो अभी तक उपरोक्त सूची में शामिल नहीं किए गए हैं, इन सभी गांवों में 4जी मोबाइल कवरेज के प्रावधान के अंतर्गत शामिल किया जाए! तांकि रत्नागिरी-सिंधुदुधुर्ग के सभी ग्रामवासियों को सुविधा मिल सके और वे इस योजना का लाभ उठा सकें।

(इक्कीस) तमिलनाडु में पूर्वी तट रेल परियोजना के बारे में।

[अनुवाद]

श्री एम. सेल्वराज (नागपट्टिनम): वर्ष 2007 के दौरान, तमिलनाडु के ड्रीम प्रोजेक्ट में से एक "पूर्वी तट रेल परियोजना" की रूपरेखा तैयार की गई थी जिसमें चेन्नई पेरुंगुडी से शुरू होकर ममल्लापुरम, कलपक्कम और पुडुचेरी से कुड्डालोर तक एक रेल लाइन बनाने का निर्णय लिया गया था। परियोजना को कार्यान्वित करने के लिए, परियोजना का सर्वेक्षण और व्यवहार्यता पहले ही पूरी हो चुकी है। इस परियोजना का उद्देश्य बंगाल की खाड़ी के साथ-साथ पूरे क्षेत्र से चेन्नई से कुड्डालोर तक रेल लाइन का निर्माण करना है। चेन्नई पेरुंगुडी के बजाय चेंकलपट्टू से रेल लाइन शुरू करने हेतु पहले की योजना/मार्ग को बदलने/मार्ग पुन:निर्धारित करने संबंधी परियोजना लगभग 16 वर्षों से सक्रिय रूप से विचाराधीन है। पूर्वी तट रेल लिंक परियोजना में किसी भी प्रकार का बदलाव परियोजना के उद्देश्य को ही विफल कर देगा। इसके अलावा, सभी निर्माण सामग्री की लागत बढ़ गई है। इसलिए, मैं माननीय रेल मंत्री से इस मामले में आवश्यक कार्रवाई करने और दक्षिणी रेलवे को पहले से अनुमोदित मार्ग जो वर्ष 2007 में तय किया गया था उसमें परिवर्तन/बदलाव न करने के निर्देश देने का अनुरोध करता हूँ ताकि बंगाल की खाड़ी के साथ-साथ पूरे क्षेत्र में चेन्नई पेरुंगुडी से कुड्डालोर तक "पूर्वी तट रेल परियोजना" का निर्माण किया जा सके। मैं इस परियोजना को कार्यान्वित करने और परियोजना को पूरा करने हेतु बढ़ी हुई लागत को पूरा करने के लिए बजट में वृद्धि करने का भी अनुरोध करता हूँ।

25.07.2023
55

(बाईस) कोल्लम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में विभिन्न रेलगाड़ियों के ठहराव को बहाल किए जाने की आवश्यकता

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन (कोल्लम): भारतीय रेलवे ने कोल्लम लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में विभिन्न ट्रेनों का ठहराव रद्द कर दिया है जबकि कोविड 19 के बाद उन्हें पुनः बहाल कर दिया गया था। यात्रा प्रतिबंध अवधि के दौरान राजस्व के आधार पर ठहराव रद्द किया गया था। ठहराव रद्द होने से यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है । कोविड-19 के बाद ट्रेन सेवाओं को पुनः बहाल करने पर निम्नलिखित ट्रेनों का ठहराव रद्द कर दिया गया । ठहराव को पुनः बहाल करने के बार-बार अनुरोध करने पर भी सरकार ने इस पर विचार नहीं किया। सार्वजनिक परिवहन प्रदान करना रेलवे का कर्तव्य है, इसलिए निम्नलिखित ठहरावों को बहाल करना अत्यधिक आवश्यक है।

1. ट्रेन नंबर 16366 पेरिनाड 2.ट्रेन नंबर 16327/16328 पेरिनाड 3. ट्रेन नं. 16101/16102 थेनमाला 4. ट्रेन नंबर 1 6791/16792 थेनमाला और आरयनकावु 5. ट्रेन नं. 16629/16630 मय्यनाड 6.ट्रेन नं. 16347/16348 पारावुर 7. ट्रेन नं. 16128/16127 पारावुर स्टेशन।

अतः मैं सरकार से उपरोक्त ठहराव को जल्द से जल्द बहाल करने का अनुरोध करता हूँ।

(तेईस) उत्तर प्रदेश में गोंड समुदाय के व्यक्तियों को अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल किए जाने की आवश्यकता।

[हिन्दी]

श्री नव कुमार सरनीया (कोकराझार): उत्तर प्रदेश के 17 जिलों में गोंड जाति को अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्राप्त है और उन्हें अभी भी जातिगत प्रमाणपत्र प्राप्त करने में बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा हैं। उन्हें समय पर जातिगत प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं हो पाता हैं। दूसरी और उत्तर प्रदेश के बाकि अन्य जिलों में गोंड समुदाय अभी अनुसूचित जनजाति के रूप में सूचिबद्ध नहीं हैं उन्हें अनुसूचित जाति के रूप में सूचीबद्ध किया गया है तथा उत्तर प्रदेश के गोंड़ समुदाय के उपजाति के रूप में जो भी लिस्ट हैं उन्हें सरकार द्वारा सूचिबद्ध नहीं किया गया है। अतः मेरा राज्य एवं केंद्र सरकार से अनुरोध हैं कि उन्हें बिना किसी कठिनाई के सुगमता पूर्वक जातिगत प्रमाणपत्र जारी किया जाये और जो भी अन्य जिलों में अनुसूचित जनजाति का दर्जा नहीं प्राप्त हुआ हैं उन्हें अतिशीघ्र अनुसूचित जनजाति में शामिल किया जाये तथा उत्तर प्रदेश के गोंड जनजाति के जितने भी सब कास्ट हैं, सरकार द्वारा उन्हें लिस्ट में सूचीबद्ध किया जाये और गोंड जनजाति की उपजाति को सरकार द्वारा नोटिफाई किया जाये ताकि कोई अन्य समुदाय उनके लिस्ट में न आये।

(चौबीस) ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसॉर्डर एण्ड सेरेब्रल पाल्सी संबंधी प्रतिवेदनों के कार्यान्वयन की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री सुनील कुमार पिंटू (सीतामढ़ी): ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसॉर्डर (ए.एस.डी.) सेरेब्रल पाल्सी (सी.पी.) आदि जैसी लाइलाज बीमारी के स्थायी और किफायती इलाज के जनवरी 2022 में तैयार की गई रिपोर्ट (1) "विशेषज्ञों द्वारा पहचाने गए चिकित्सीय उद्देश्य के लिए सेल या स्टेम सेल आधारित तैयारियों से जुड़े अभ्यास और प्रक्रियाओं की सूची और (2) चिकित्सीय उद्देश्य के लिए सेल या स्टेम सेल आधारित तैयारियों से जुड़ी प्रक्रियाओं के नियंत्रण और निगरानी के लिए मानक संचालन प्रक्रियाएं (एस.ओ.पी.) - को तत्काल लागू किए जाने की आवश्यकता है। जैसा कि देश-विदेश में, विशेषकर अनाथालयों/वंचित वर्गों में उक्त बीमारियों से जूझ रहे करोड़ों बच्चों/बुजुर्गों/नौजवानों से अन्य बातों के अलावा मानवता शर्मसार हो रही है।

———————

[हिन्दी]

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री तथा श्रम और रोजगार मंत्री (श्री भूपेन्द्र यादव): माननीय सभापति महोदय, मेरा आपसे आग्रह है कि आइटम नंबर 19 को पहले ले लें। ... (व्यवधान)

माननीय सभापति : सभा की सहमति है, आइटम नंबर 19 को पहले ले रहे हैं।

... (व्यवधान)

कई माननीय सदस्य: जी हां।

माननीय सभापति : आईटम नंबर 19 - जैव विविधता (संशोधन) विधेयक, 2022 संयुक्त समिति द्वारा यथाप्रतिवेदित।

माननीय मंत्री जी।

... (व्यवधान)

<u>अपराह्न 2.09 बजे</u>

<u>जैव विविधता (संशोधन) विधेयक, 2022[6*]</u>

संयुक्त समिति द्वारा यथाप्रतिवेदित

[अनुवाद]

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री, तथा श्रम और रोज़गार मंत्री (श्री भूपेन्द्र यादव): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ:

"कि जैव विविधता अधिनियम, 2002 का और संशोधन करने वाले विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा यथाप्रतिवेदित पर, विचार किया जाए।

[हिन्दी]

माननीय सभापति : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

"कि जैव विविधता अधिनियम, 2002 का और संशोधन करने वाले विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा यथाप्रतिवेदित, पर विचार किया जाए।"

[6*] भारत के राजपत्र में प्रकाशित, असाधारण, भाग II, खंड-2, दिनांक 25.07.2023 में प्रकाशित।

डॉ. संजय जायसवाल (पश्चिम चम्पारण): सभापति महोदय, आपका धन्यवाद कि आपने मुझे जैव विविधता (संशोधन) विधेयक, 2022 पर बोलने का मौका दिया है। ... (व्यवधान)

महोदय, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने बताया है कि यह जॉइंट पार्लियामेंट्री कमिटी से पास हो कर के आया है। इतना ही नहीं, चूंकि जेपीसी में सभी पार्टियों के सांसद उसमें मौजूद रहते हैं और किसी ने कोई डीसेंट नोट नहीं दिया। जब हम लोगों ने संशोधन कर के इसका फाइनल प्रारूप लोक सभा के पटल पर रखा, उसके पहले जो बैठक हुई, उसमें किसी भी विरोधी दल के किसी सांसद ने किसी प्रकार का ऐतराज नहीं किया। ... (व्यवधान)

यह बताता है कि इस बिल पर सभी सांसदों और राजनीतिक दलों की सर्वसम्मति है। इसके लिए मैं सभी सांसदों का आभार व्यक्त करना चाहूंगा।... (व्यवधान)

सभापति महोदय, वर्ष 2002 में जो जैव विविधता संशोधन बिल आया था, वह यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी को लेकर था।... (व्यवधान) उसमें एक नागोया प्रोटोकॉल साइन हुआ था कि जिन स्थानों पर जो चीजें निकलती और उगती हैं, स्थानीय इलाके की जो खासियत है, उसका फायदा स्थानीय लोगों को भी मिलना चाहिए।... (व्यवधान) उसके साथ ही वे चीजें सभी के लिए उपलब्ध भी होनी चाहिए। इन दोनों को ध्यान में रख कर नागोया प्रोटोकॉल हुआ था और भारत भी उसका सिग्नेटरी है।... (व्यवधान) 15 वर्षों में कुछ राज्यों ने बायोडाइवर्सिटी लॉ का, खासकर जो स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड थे, उन्होंने बहुत गलत फायदा भी उठाना शुरू किया।... (व्यवधान) मैं नाम लूंगा, उसमें हमारा झारखंड राज्य है।... (व्यवधान) उन्होंने कह दिया कि जितनी भी आरा मीलें चल रही हैं, वे सभी बायोडाइवर्सिटी में आती हैं।... (व्यवधान) मैं एक तरह से कहना चाहूंगा कि अनुचित ढंग से झारखंड की सारी आरा मिलों को बंद कर दिया गया।... (व्यवधान) जो लोग जंगल के सारे कानूनों का पालन कर रहे थे, जो गरीब लोग 100 मीलों से जीते थे, उन सभी को बायोडाइवर्सिटी को लेकर बहुत परेशान किया गया।... (व्यवधान)

उसी प्रकार छतीसगढ़ सरकार को अचानक आइडिया आ गया कि कोयला हमारा बायोडाइवर्सिटी प्रोडक्ट है।... (व्यवधान) इस तरह की बहुत सारी चीजें होने लगी थीं। फार्मास्यूटिकल कंपनीज का कहना था कि हम सामान को तरीके से खरीद कर लाते हैं।... (व्यवधान) उसके बाद कोई ऑफिसर आकर कहता है कि आप सब को जेल में डाल देंगे, क्योंकि आपके पास जो जड़ी-बूटी या जो भी प्रोडक्ट है, वह चोरी किया हुआ प्रोडक्ट है।... (व्यवधान) इस तरह से अफवाह फैलाया जाता था।... (व्यवधान) इसमें पहले भी एबीएस का था, लेकिन अगर कहीं पर सबसे ज्यादा आयुर्वेदिक हर्बल मेडिसीन बनता है तो वह महाराष्ट्र में बनता है। महाराष्ट्र की पंचायतों को जो बेनिफिट शेयरिंग देना था, वह शून्य है।... (व्यवधान) उसी तरह से ओडिशा में भी बहुत ज्यादा जंगल है और बहुत सारी जड़ी-बूटियां थीं। इनको ग्राम पंचायतों में बनने के बावजूद भी कोई एक्सेस बेनिफिट शेयरिंग ओडिशा को नहीं मिल पाया।... (व्यवधान)

सर, इस तरह से लगभग 11 राज्य हैं, जहां पर उन चीजों की खासियत है, चाहे वह जड़ी-बूटी हो या औषधीय पौधे हों। वह नॉर्मल हर्बल का प्रोडक्ट भी हो सकता है, लेकिन उसमें किसी को फायदा नहीं हो रहा था।... (व्यवधान) मैं भारत सरकार, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र भाई मोदी जी और माननीय मंत्री श्री भूपेन्द्र यादव जी को धन्यवाद दूंगा कि वह यह जैव विविधता (संशोधन) विधेयक, 2022 लाये है।... (व्यवधान) यह इतना अच्छा और बैलेंस्ड था कि कांग्रेस के हमारी सभी सांसद भी इसके लिए तैयार हो गए कि इन संशोधनों के साथ हम बिल पारित करेंगे।... (व्यवधान)

महोदय, इसमें मैं आपके सामने दो चीजों के बारे में जरूर कहना चाहूंगा। यह पहली बार है कि इसमें भारतीय कंपनियों को फायदा दिया जा रहा है।... (व्यवधान) वह सिम्प्ली रजिस्टर करके अपना रिसर्च भी कर सकती हैं और अपना प्रोडक्ट भी बना सकती हैं, जो पहले नहीं था।... (व्यवधान) विदेशी कंपनियों के लिए आज भी पहले वाले ही नियम हैं। यदि उसी तरह से जिन भारतीय कंपनियों में विदेशी शेयर भी हैं, तो उन पर पहले बिल्कुल क्लियरिटी नहीं थी... (व्यवधान)। अब अगर भारतीय कंपनियां भारतीयों के द्वारा ओन की जाती हैं तो उनको भी भारतीय कंपनी मानते हुए फायदा दिया जाएगा।... (व्यवधान) उसी तरह से इसका सबसे बड़ा फायदा है कि अब कोई भी भारतीय व्यक्ति या यूनिवर्सिटी

रिसर्च कर सकता है।... (व्यवधान) अगर वह रिसर्च में सक्सेसफुल होता है तो उसको विशेष परमिशन की जरुरत होगी।... (व्यवधान) इसमें कई लोग अफवाह भी उड़ाते हैं कि विदेशी कंपनियां फायदा उठा लेंगी।... (व्यवधान) उन पर भी पेटेंट लॉ लागू होगा। सबसे बड़ा फायदा यह है कि जब हम खेतों में औषधीय पौधों को बनने देंगे और वह गांव में रजिस्टर्ड होंगे तो जंगल से जिन औषधीय पौधों और जड़ी-बूटी की चोरी होती थी, वे सब अब रूक जाएंगी।... (व्यवधान) इसमें सभी को फायदा होगा। इसलिए, मेरा आपसे और सदन से अनुरोध रहेगा कि जिस प्रकार जेपीसी में सभी ने सर्वसम्मति से संशोधनों को अप्रूवल दिया है, कृपया करके आज भी इसको सर्वसम्मति से पारित करें।... (व्यवधान) मैं जैव विविधता संशोधन विधेयक 2022 को पूर्ण समर्थन करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं।... (व्यवधान)

———————

माननीय सभापति : माननीय सदस्यगण, सभा पटल पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत होने से रह गई थी।

डॉ. सत्यपाल सिंह जी।

… (व्यवधान)

<u>अपराह्न 02.14 बजे</u>

<u>लोक लेखा समिति</u>

66वें से 68वां प्रतिवेदन

डॉ. सत्यपाल सिंह (बागपत): सभापति महोदय, मैं लोक लेखा समिति (2023-24) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं:-

(1) 'स्वीकृत अनुदानों और प्रभारित विनियोग (2020-21) से अधिक व्यय' संबंधी 66वां प्रतिवेदन।

(2) 'संपदा निदेशालय का कार्यकरण' के बारे में समिति के 41वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 67वां प्रतिवेदन।

(3) 'स्वीकृत अनुदानों और प्रभारित विनियोग (2018-19) से अधिक व्यय' के बारे में समिति के 42वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 68वां प्रतिवेदन।... (व्यवधान)

———————

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो रही है। कृपया इसमें भाग लीजिए, सुनिए। यह आप सबकी रुचि का विषय है, देश की प्रगति से जुड़ा विषय है, जैव विविधता का बिल है। कृपया सुनिए ।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : श्रीमती अपराजिता सारंगी।

… (व्यवधान)

अपराह्न 02.15 बजे

जैव विविधता (संशोधन) विधेयक, 2022

संयुक्त समिति द्वारा यथाप्रतिवेदित... जारी

श्रीमती अपराजिता सारंगी (भुवनेश्वर): मुझे यह अवसर देने के लिए धन्यवाद, महोदय … (*व्यवधान*)

"जैव विविधता हमारे पारिस्थितकी तंत्र को अधिक लचीला बनाता है, जो स्थिर समाजों के लिए बहुत आवश्यक है; इसका मनमाने ढंग से विनाश हमारे जीवन को बर्बाद करने के समतुल्य है।" जोहान रॉकस्ट्रॉम, स्वीडिश वैज्ञानिक ने यह कहा था … (*व्यवधान*) मुझे कहना होगा कि प्रधान मंत्री मोदी जी की सरकार ने हमारे देश में जैव विविधता के महत्व को महसूस किया है और इसीलिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने जैव विविधता अधिनियम, 2002 में संशोधन किया है और जैव विविधता (संशोधन) विधेयक, 2021 प्रस्तुत किया है। … (*व्यवधान*)

महोदय, जैसा कि जे.पी.सी. के सभापति द्वारा कहा गया है - निश्चित रूप से, इसके लिए एक संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया गया और मुझे इसका सदस्य होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ - जे.पी.सी. ने सावधानीपूर्वक कार्य किया और संशोधन विधेयक को अंतिम रूप देने और इसे अनुमोदन के लिए इस सम्मानित सभा को भेजने से पहले सभी हितधारकों, सरकार और गैर-सरकारी, दोनों से सुझाव मांगे… (*व्यवधान*)

महोदय, मैं बताना चाहूंगी कि भारत जैव विविधता संबंधी संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, 1992 और नगोया प्रोटोकॉल का हस्ताक्षरकर्ता रहा है। इन अंतरराष्ट्रीय दस्तावेजों के अनुरूप, हमें जैव विविधता

अधिनियम, 2002 में कतिपय संशोधन करने होंगे और यही कारण है कि हम आज यहां संयुक्त संसदीय समिति द्वारा सावधानीपूर्वक अध्ययन के करने के पश्चात सभी संशोधनों पर चर्चा करने के लिए एकत्र हुए हैं। … (*व्यवधान*) जैसा कि सभापति जी द्वारा कहा गया है, संयुक्त संसदीय समिति में मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित संशोधनों पर कोई आपत्ति नहीं थी और न ही कोई व्यवधान था। मैं प्रधानमंत्री मोदी और मंत्री श्री भूपेन्द्र यादव को इस विशेष कार्य पर विचार-विमर्श करने और इस महत्वपूर्ण विधेयक प्रस्तुत करने के लिए बधाई देती हूं। … (*व्यवधान*)

हमने यह विशेष संशोधन किया है, इसके पीछे कुछ कारण हैं। पिछले वर्षों के दौरान, भारतीय चिकित्सा प्रणालियों और जैव प्रौद्योगिकी और अनुसंधान केंद्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले विभिन्न हितधारकों द्वारा कुछ चिंताएं व्यक्त की गयीं थीं, जिसमें अनुपालन दायित्व को सरल, सुव्यवस्थित और कम करने तथा सहयोग, अनुसंधान और निवेश के लिए अनुकूल वातावरण को प्रोत्साहित करने का अनुरोध किया गया था। … (*व्यवधान*) दूसरा, हमें अपनी पेटेंट आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाना होगा। तीसरा, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक्सेस करने का दायरा बढ़ाना चाहिए। नगोया प्रोटोकॉल में एक्सेस और लाभ साझेदारी की बात की गई है। यह बहुत महत्वपूर्ण है। … (*व्यवधान*) इसके अंतर्गत निम्नलिखित प्रमुख संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं। पुनरावृत्ति की कीमत पर, मैं विधेयक द्वारा प्रस्तावित पांच प्रमुख संशोधनों को सूचीबद्ध करूंगी। … (*व्यवधान*) पहला, यह औषधीय पौधों की खेती को प्रोत्साहित करके जंगली औषधीय पौधों पर दबाव को कम करने की बात करता है। … (*व्यवधान*)

दूसरा, मैं दोहराना चाहूंगी कि यह भारतीय कंपनियों को आयुष उद्योगों के विकास के लिए उपयुक्त वातावरण प्रदान करने के लिए जैव विविधता अधिनियम, 2002 के दायरे से संहिताबद्ध पारंपरिक ज्ञान की छूट की बात करता है। हम इस बात से अवगत हैं कि हमारे माननीय प्रधान मंत्री जी आयुष उद्योग को बढ़ावा देने पर काफी जोर दे रहे हैं और यही कारण है कि यह विशेष विधेयक वास्तव में आयुष क्षेत्र को बढ़ावा देने और मजबूती को प्रोत्साहित करेगा। … (*व्यवधान*)

तीसरा, इसका उद्देश्य कंपनी अधिनियम, 2013 के साथ जैव विविधता अधिनियम को संरेखित करना है। यह बहुत महत्वपूर्ण है। यह विशेष विधेयक अनुसंधान और व्यावसायीकरण क्षेत्र में अधिक

विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए भारतीय विदेशी कंपनी की परिभाषा के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 के साथ जैव विविधता अधिनियम को संरेखित करेगा। … (*व्यवधान*)

चौथा, यह राष्ट्रीय हित अथवा उससे भी अधिक अंतरराष्ट्रीय समझौतों से समझौता किए बिना भारतीयों के लिए पेटेंट आवेदन प्रक्रिया को तेजी से ट्रैक करने की सुविधा प्रदान करेगा जहां भारत एक पक्षकार के रूप में काम कर रहा है। … (*व्यवधान*)

अंतिम लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं मंत्रालय को इस विषय का गंभीरतापूर्वक अध्ययन करने के लिए बधाई देना चाहती हूँ। यह एक सूक्ष्म कार्य है। मैं इस अवसर पर एक बार पुनः माननीय मंत्री और उनकी पूरी टीम और राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण को भी बधाई देती हूं। विधेयक में दांडिक अपराध को सिविल अपराध से प्रतिस्थापित करते हुए जैव विविधता अधिनियम के कतिपय उपबंधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने की बात की गई है। .... (*व्यवधान*)

महोदय, यह विधेयक दिसंबर, 2021 में संयुक्त संसदीय समिति को भेजा गया था। संयुक्त संसदीय समिति ने वास्तव में इस विधेयक पर विचार किया और अपनी सिफारिश दी। अब यह विधयेक आपके सम्मुख है ... (*व्यवधान*) मेरे विचार से यह देश के हित में है कि हमें इसे पारित करें। अतः, मैं इस प्रतिष्ठित सभा के सभी माननीय सदस्यों से अपील करूंगी कि वे कृपया इस विधेयक को पारित करें। बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय सभापति : श्री के. श्रीधर : उपस्थित नहीं।

… (*व्यवधान*)

माननीय सभापति: श्रीमती गीता विश्वनाथ।

… (*व्यवधान*)

श्रीमती वांगा गीता विश्वनाथ (काकीनाडा): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विधेयक पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपकी आभारी हूँ।

मैं आयुष चिकित्सकों और उद्यमियों की आवश्यकताओं और उनकी मांगों के संबंध में इतने सक्रिय होने और उनकी चिंताओं को दूर करने हेतु समग्र कानूनी ढांचा बनाने के लिए सरकार की सराहना करती हूँ।

महोदय, इस विधेयक में कई सकारात्मक मुद्दे शामिल हैं। उदाहरण के लिए, अनुपालन संबंधी दायित्व को सरल बनाना। इसमें नए पेटेंट ढांचे के साथ-साथ लाभ को साझा करना भी शामिल है। फिर, पारस्परिक समझोते के दायरे में भी सरलीकरण हो रहा है।

महोदय, इस विधेयक में कुछ नकारात्मक मुद्दे भी हैं और उनका समाधान करने के लिए सरकार को आवश्यक कदम उठाने चाहिए। इसमें सहिंताबद्ध पारंपरिक ज्ञान की कोई परिभाषा नहीं दी गई है। यह विधेयक 'सहिंताबद्ध पारंपरिक ज्ञान' के उपयोगकर्ता को स्थानीय समुदायों के साथ लाभ साझा करने से छूट देता है, लेकिन इस पद को परिभाषित नहीं किया गया है। न ही इसे जैव विविधता संबंधी अभिसमय और न ही नगोया प्रोटोकॉल में परिभाषित किया गया है। इसलिए,इस तरह का अंतर लगभग सभी पारंपरिक ज्ञान को लाभ साझा करने की आवश्यकताओं से छूट दे सकता है जो हानिकर है।

महोदय, मेरा दूसरा मुद्दा वाणिज्य और स्थानीय आवश्यताओं के बीच संतुलन के बारे में है। इस विधेयक में वाणिज्य और बौद्धिक संपदा अधिकारों को स्पष्ट महत्व दिया गया है, लेकिन जैविक संसाधनों के संरक्षण को भी समान महत्व दिया जाना चाहिए।

माननीय सभापति: माननीय सदस्यगण, कृपया व्यवधान उत्पन्न न करें।

… (*व्यवधान*)

श्रीमती वांगा गीता विश्वनाथ: महोदय, मेरा तीसरा मुद्दा आदतों की रोकथाम से जुड़ा है। विधेयक में जैव विविधता के संरक्षण और सतत उपयोग को बढ़ावा देते हुए प्राकृतिक आवासों को संरक्षित करने के लिए जैव विविधता प्रबंधन समिति के कार्यों को समाप्त कर दिया गया है। मैं सरकार से अनुरोध करती हूँ कि वह इस कदम के पीछे के तर्क को स्पष्ट करे क्योंकि यह हमारे राष्ट्र के मूल्यों के विरोध में है। … (*व्यवधान*) विधेयक संबंधी संयुक्त संसदीय समिति ने भी अपने प्रतिवेदन में यह सिफारिश की है कि इस प्रावधान को जारी रखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा है कि जल निकायों में रहने वाले जीवों के संरक्षण

को विशेष रूप से प्रावधानों के आशय और दायरे का विस्तार करने के लिए जोड़ा जाना चाहिए। (*व्यवधान*)

माननीय सभापति: माननीय सदस्यगण, कृपया सभा की कार्यवाही में व्यवधान उत्पन्न न करें। कृपया अपने स्थान पर वापस जाएं।

… (*व्यवधान*)

माननीय सभापति:अब, श्री मलूक नागर चर्चा करेंगे। कृपया दो मिनट के भीतर अपनी बात समाप्त करें।

… (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

श्री मलूक नागर (बिजनौर): माननीय सभापति महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। ... (व्यवधान) टीवी पर रोज डिबेट होती है कि कौन सदन को नहीं चलने देना चाहता है? हम सदन में चर्चा करना चाहते हैं, मणिपुर पर चर्चा करना चाहते हैं, मणिपुर के मुख्य मंत्री हटें, यह चाहते हैं और राजस्थान के मुख्य मंत्री हटें, यह भी चाहते हैं। ... (व्यवधान)

माननीय भूपेन्द्र यादव जी को हम धन्यवाद देते हैं कि वह एक अच्छा बिल लेकर आए, जिससे किसानों को फायदा होगा। जो लोग व्यवधान कर रहे हैं, वे हमारे मौलिक अधिकारों का हनन कर रहे हैं। ... (व्यवधान) 20 लाख लोग, जो हमें चुनकर भेजते हैं, उनके भी मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। ... (व्यवधान)

माननीय सभापति : माननीय मंत्री जी।

… (व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र यादव: माननीय सभापति जी, आज एक महत्वपूर्ण बिल पर इस सदन में चर्चा हो रही है। यह बिल इस मायने में महत्वपूर्ण है कि पूरी दुनिया इस समय ट्रिपल क्राइसिस से गुजर रही है। ... (व्यवधान) एक तरफ क्लाइमेट चेंज का क्राइसिस है, तो दूसरी तरफ डेजर्टीफिकेशन ऑफ लैंड का क्राइसिस है और तीसरी तरफ लॉस ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्सेज का क्राइसिस है। ... (व्यवधान) भारत ने वर्ष 2015 के पेरिस एग्रीमेंट के बाद से माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में दुनिया के इस

एनवायरमेंटल क्राइसिस का क्लाइमेट एक्शन के द्वारा माकूल उत्तर दिया है और दुनिया का नेतृत्व करने का काम माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में किया है। ... (व्यवधान) जैसा कि मुझसे पूर्व के वक्ताओं ने भी बताया कि वर्ष 1992 में कनवेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डायवर्सिटी की जो अर्थ समिट हुई थी, उसका भारत हिस्सेदार है। वर्ष 1992 की बायोलॉजिकल डायवर्सिटी की कन्वेंशन को जो हमने स्वीकार किया, उसके बाद वर्ष 2002 में बायोलॉजिकल डायवर्सिटी एक्ट आया। ... (व्यवधान)

यह संयोग ही है कि वर्ष 2002 में हमारे एनडीए के प्रधान मंत्री माननीय अटल जी के नेतृत्व में सरकार थी और आज जब समय अनुकूल बन रहा है तब भी देश में एनडीए की सरकार कार्य कर रही है।... (व्यवधान) यह दर्शाता है कि देश के विकास में किस प्रकार का योगदान पिछले 9 वर्षों में माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में विशेष रूप से पर्यावरण के क्षेत्र में दिया गया है।... (व्यवधान)

माननीय सभापति महोदय, मैं थोड़े विस्तार से कहना चाहूंगा, क्योंकि यह जानना आवश्यक है कि सरकार किस प्रकार से पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य कर रही है। ... (व्यवधान) इस अमेंडमेंट एक्ट को लाने के तीन प्रमुख कारण हैं। पिछले 20 वर्षों में हमने बायोलॉजीकल डायवर्सिटी एक्ट के लागू होने के बाद अनेक तरह के जमीन में उभरने वाली समस्याओं को देखा है। इसलिए, यह आवश्यक था कि बायोलॉजिकल डायवर्सिटी के कंजर्वेशन के लिए उसके जो कम्पोनेंट्स हैं, उसके सस्टेनेबल यूज के लिए तथा फेयर और इक्विटेबल शेयरिंग, विशेष रूप से जो बेनिफिट शेयरिंग वाले वलनरेबल कम्युनिटी के लोग हैं, उनको प्रदान करने के लिए ये संशोधन किए जाने आवश्यक थे।... (व्यवधान) इसलिए, जब इस बिल को यहां पर रखा गया तो सदनों की संयुक्त संसदीय समिति को यह बिल दिया गया। मैं इस बात के लिए संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष डॉ. संजय जायसवाल जी और उनके नेतृत्व में जितने भी सदस्यों ने भाग लेकर इस संशोधन के लिए सुझाव दिए, वे सार्थक रहे। इसलिए, मैं संसदीय समिति को इस कार्य के लिए बधाई देना चाहूंगा। ... (व्यवधान)

माननीय सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि हम अपने देश में इज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट करना चाहते हैं। सरकार बनने के बाद माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में आयुष मंत्रालय बना और आयुष मंत्रालय में निश्चित रूप से बायोडायवर्सिटी के पदार्थों का किस प्रकार से उपयोग किया

जाए और भारतीय आयुर्वेदिक पद्धतियों को किस प्रकार से बढ़ाया जाए उसके लिए कार्य किया गया है ।... (व्यवधान) इसलिए, इस क्षेत्र में अनुसंधान हो, सहयोग हो और ऐकडेमिक सहयोग हो, उसके लिए इस बिल में अमेंडमेंट्स किए गए हैं। सबसे बड़ी बात है कि हमने डिक्रिमिनलाइजेशन करके कम से कम आयुष और आयुर्वेद के क्षेत्र में जो लोग कार्य कर रहे हैं, उनको राहत दी है। ... (व्यवधान) देश में इज ऑफ डूइंग बिजनेस और इज ऑफ लिविंग का जो माहौल माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में बना है, उसको आगे बढ़ाने का कार्य इस बिल के अमेंडमेंट के द्वारा किया जा रहा है। ... (व्यवधान)

माननीय सभापति महोदय, मेरे पूर्व के वक्ताओं ने भी इस विषय को आपके सामने रखा है । संसदीय समिति की रिपोर्ट में भी व्यापक रूप से इसके स्टेक होल्डर्स से, सरकारों से और ऐकडेमिक लोगों से विशेष रूप से बहुत बड़ा विचार-विमर्श हुआ है। ... (व्यवधान) उन सारे पहलुओं को संसदीय समिति ने स्वीकार किया है। इसलिए, मैं सदन से यह आग्रह करना चाहूंगा कि वह इस बिल को पारित करे। धन्यवाद। ... (व्यवधान)

माननीय सभापति: प्रश्न यह है:

"कि जैव विविधता अधिनियम, 2002 का और संशोधन करने वाले विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा यथाप्रतिवेदित, पर विचार किया जाए।"

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।</u>

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी।

… (व्यवधान)

खण्ड 2 उद्देशिका का संशोधन

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 विधेयक का अंग बने।"

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।</u>

<u>खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।</u>

… (व्यवधान)

खण्ड 3 धारा 2 का संशोधन

माननीय सभापति: श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन जी, क्या आप संशोधन संख्या 13 से 15 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

… (व्यवधान)

माननीय सभापति: डॉ. आलोक कुमार सुमन जी, क्या आप संशोधन संख्या 29 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

… (व्यवधान)

माननीय सभापति: प्रो. सौगत राय जी, क्या आप संशोधन संख्या 37 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

… (व्यवधान)

माननीय सभापति: एडवोकेट डीन कुरियाकोस जी क्या आप संशोधन संख्या 46 और 47 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

… (व्यवधान)

माननीय सभापति: प्रश्न यह है :

"कि खंड 3 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 3 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 4 और 5 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खण्ड 6 धारा 4 के स्थान पर नए खंड का प्रतिस्थापन

माननीय सभापति : श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन जी, क्या आप संशोधन संख्या 16 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : डॉ. आलोक कुमार सुमन जी, क्या आप संशोधन संख्या 30 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : प्रश्न यह है :

"कि खंड 6 विधेयक का अंग बने।"

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।</u>

<u>खंड 6 विधेयक में जोड़ दिया गया।</u>

<u>खंड 7 विधेयक में जोड़ दिया गया।</u>

खण्ड 8 धारा 6 का संशोधन

माननीय सभापति : डॉ. आलोक कुमार सुमन जी, क्या आप संशोधन संख्या 31 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : प्रश्न यह है :

"कि खंड 8 विधेयक का अंग बने।"

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।</u>

<u>खंड 8 विधेयक में जोड़ दिया गया।</u>

खण्ड 9 धारा 7 के स्थान पर नए खंड का प्रतिस्थापन

<u>संशोधन किये गये :</u>

पृष्ठ 4, पंक्ति 44-45 के स्थान पर रखें –

"(2) कृषित औषधि पौधों के मामले में, उपधारा (1) के अधीन छूट तभी उपलब्ध होगी यदि उत्पत्ति का प्रमाणपत्र ऐसी रीति में जो विहित की जाए, जैव विविधता प्रबंध समिति से प्राप्त किया गया हो:

(3) जैव विविधता प्रबंध समिति, ऐसी रीति में रखी गई ऐसी बहियों में की गई प्रविष्टियों के आधार पर ऐसी रीति में जो विहित की जाए, उपधारा (2) के अधीन उत्पत्ति का प्रमाणपत्र जारी करेगी ।" ।'(3)

पृष्ठ 5, पंक्ति 1 से 4 का लोप करे ।(4)

(श्री भूपेन्द्र यादव)

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : डॉ. आलोक कुमार सुमन जी, क्या आप संशोधन संख्या 32 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : प्रो. सौगत राय जी, क्या आप संशोधन संख्या 38 और 39 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : एडवोकेट डीन कुरियाकोस जी, क्या आप संशोधन संख्या 48 और 49 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : प्रश्न यह है :

"कि खंड 9, यथा संशोधित, विधेयक का अंग बने ।"

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।</u>

<u>खंड 9, यथा संशोधित, विधेयक में जोड़ दिया गया ।</u>

खण्ड 10 धारा 8 का संशोधन

माननीय सभापति : श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन जी, क्या आप संशोधन संख्या 17 से 19 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : डॉ. आलोक कुमार सुमन जी, क्या आप संशोधन संख्या 33 और 34 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : प्रो. सौगत राय जी, क्या आप संशोधन संख्या 40 और 41 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : एडवोकेट डीन कुरियाकोस जी, क्या आप संशोधन संख्या 50 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : प्रो. सौगत राय जी, क्या आप संशोधन संख्या 51 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : एडवोकेट ए.एम. आरिफ जी, क्या आप संशोधन संख्या 57, 59 और 61 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : श्री बैन्नी बेहनन जी, क्या आप संशोधन संख्या 58 और 60 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : प्रश्न यह है :

"कि खंड 10 विधेयक का अंग बने ।"

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।</u>

<u>खंड 10 विधेयक में जोड़ दिया गया ।</u>

<u>खंड 11 से 13 विधेयक में जोड़ दिए गए ।</u>

खण्ड 14 धारा 15 का संशोधन

माननीय सभापति : डॉ. आलोक कुमार सुमन जी, क्या आप संशोधन संख्या 35 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : प्रो. सौगत राय जी, क्या आप संशोधन संख्या 52 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : प्रश्न यह है :

"कि खंड 14 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 14 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 15 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 16 धारा 18 का संशोधन

माननीय सभापति : श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन जी, क्या आप संशोधन संख्या 20 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : एडवोकेट ए.एम. आरिफ जी, क्या आप संशोधन संख्या 62 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : प्रश्न यह है :

"कि खंड 16 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 16 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 17 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 18 धारा 20 का संशोधन

माननीय सभापति : श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन जी, क्या आप संशोधन संख्या 21 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : प्रश्न यह है :

"कि खंड 18 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 18 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड 19 धारा 21 का संशोधन

माननीय सभापति : प्रो. सौगत राय जी, क्या आप संशोधन संख्या 53 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : प्रश्न यह है :

"कि खंड 19 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 19 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड 20 धारा 22 का संशोधन

माननीय सभापति : श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन जी, क्या आप संशोधन संख्या 22 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : प्रो. सौगत राय जी, क्या आप संशोधन संख्या 42 और 54 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : प्रश्न यह है :

"कि खंड 20 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 20 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 21 धारा 23 का संशोधन

माननीय सभापति : श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन जी, क्या आप संशोधन संख्या 23 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : डॉ. आलोक कुमार सुमन जी, क्या आप संशोधन संख्या 36 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : प्रो. सौगत राय जी, क्या आप संशोधन संख्या 43 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : प्रश्न यह है :

"कि खंड 21 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 21 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 22 धारा 24 का संशोधन

संशोधन किये गये:

पृष्ठ 9, पंक्ति 35 में, “उपधारा 3” के स्थान पर “उपधारा (2) और उपधारा (3)” रखें।

(5)

पृष्ठ 9, पंक्ति 37 “(3)” के स्थान पर "(2)” रखें। (6)

पृष्ठ 9, पंक्ति 44 में, “(4)” के स्थान पर "(3)” रखें। (7)

(श्री भूपेन्द्र यादव)

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : प्रश्न यह है :

"कि खंड 22, यथा संशोधित, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 22, यथा संशोधित, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड 23 से 25 विधेयक में जोड़ दिए गए ।

खण्ड 26 नई धारा 36क और 36ख का अंतःस्थापन

माननीय सभापति : श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन जी, क्या आप संशोधन संख्या 24 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : प्रो. सौगत राय जी, क्या आप संशोधन संख्या 55 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

"कि खंड 26 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 26 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड 27 धारा 37 का संशोधन

माननीय सभापति : श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन जी, क्या आप संशोधन संख्या 25 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : प्रो. सौगत राय जी, क्या आप संशोधन संख्या 56 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

"कि खंड 27 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 27 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड 28 से 37 विधेयक में जोड़ दिए गए ।

खण्ड 38 नई धारा 55 का प्रतिस्थापन

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 14, पंक्ति 30 में, “की उपधारा (1) के खंड (क) और खंड (ख)" का लोप करें ।

(8)

(श्री भूपेन्द्र यादव)

माननीय सभापति : श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन जी, क्या आप संशोधन संख्या 26, 27 और 28 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

"कि खंड 38, यथा संशोधित, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 38, यथा संशोधित, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड 39 से 41 विधेयक में जोड़ दिए गए ।

खण्ड 42 धारा 62 का संशोधन

संशोधन किये गये :

पृष्ठ 16, पंक्ति 9-10 के स्थान पर रखें -

"(क) धारा 7 की उपधारा (2) के अधीन उत्पति का प्रमाणपत्र प्राप्त करने की रीति";

(कक) बहियां जिनके आधार पर उत्पति का प्रमाणपत्र जारी किया जाना है, धारा 7 की उपधारा (3) के अधीन ऐसी बहियों को रखने की रीति और ऐसे प्रमाणपत्र को जारी करने की रीति;"। (9)

पृष्ठ 16, पंक्ति 11 में, "(कक)" के स्थान पर "(कख)" रखें **।** (10)

(श्री भूपेन्द्र यादव)

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

"कि खंड 42, यथा संशोधित, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 42, यथा संशोधित, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 43 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 1

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 1, पंक्ति 4 "2022" के स्थान पर "2023" रखें। (2)

(श्री भूपेन्द्र यादव)

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

"कि खंड 1, यथा संशोधित, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 1, यथा संशोधित, विधेयक में जोड़ दिया गया।

… (व्यवधान)

अधिनियमन सूत्र

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 1, पंक्ति 1 “तिहत्तरवें" के स्थान पर "चौहत्तरवें" रखें। (1)

(श्री भूपेन्द्र यादव)

माननीय सभापति: प्रश्न यह है:

"कि अधिनियमन सूत्र, यथा संशोधित, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अधिनियमन सूत्र, यथा संशोधित, विधेयक में जोड़ दिया गया।

विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिया गया।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : माननीय मंत्री जी, अब प्रस्ताव करें कि विधेयक को यथा संशोधित पारित किया जाए।

श्री भूपेन्द्र यादव: सभापति जी, मैं प्रस्ताव करता हूँ:

"कि विधेयक, यथा संशोधित, पारित किया जाए।"

माननीय सभापति: प्रश्न यह है :

"कि विधेयक, यथा संशोधित, पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति: प्लीज बैठिए।

… (व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय सभापति: कृपया अध्यक्षपीठ के साथ सहयोग करें।

… (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

माननीय सभापति: चर्चा होगी तो उत्तर मिलेगा। बिना चर्चा के उत्तर प्राप्त नहीं हो सकता है।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : कृपया अपने स्थान पर वापस जाएं।

… (*व्यवधान*)

माननीय सभापति: आप चर्चा होने दीजिए।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : सभा की कार्यवाही 5 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

<u>अपराह्न 02.43 बजे</u>

तत्पश्चात लोकसभा अपराह्न पांच बजे तक के लिए स्थगित हुई।

———————

<u>अपराह्न 5.00 बजे</u>

लोक सभा अपराह्न पांच बजे पुन: समवेत हुई।

(माननीय अध्यक्ष *पीठासीन हुए*)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : आइटम नम्बर 18.

... (व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): अध्यक्ष जी।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : क्यों?

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : विषय यह है कि कल सुबह मैं आपको विषय रखने दूंगा।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : नो।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : जब मैंने व्यवस्था दे दी है, तो व्यवस्था दे दी है। व्यवस्था बदली नहीं जाती है।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आइटम नम्बर 18, माननीय मंत्री जी।

... (व्यवधान)

अपराह्न 5.01 बजे

बहु-राज्य सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2022[7*]

संयुक्त समिति द्वारा यथाप्रतिवेदित

[हिन्दी]

गृह मंत्री तथा सहकारिता मंत्री (श्री अमित शाह): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 का और संशोधन करने वाले विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा यथाप्रतिवेदित, पर विचार किया जाए।"

माननीय अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 का और संशोधन करने वाले विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा यथाप्रतिवेदित, पर विचार किया जाए।"

... (व्यवधान)

अपराह्न 5.01½ बजे

इस समय श्री गौरव गोगोई, श्री कल्याण बनर्जी और कुछ अन्य माननीय सदस्य आगे आकर सभा पटल के निकट खड़े हो गए।

श्री मनोज कोटक (मुम्बई उत्तर-पूर्व): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बहुराज्य सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2022 पर विचार रखने की अनुमति दी है, इसके लिए मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं।... (व्यवधान) बदले हुए विश्व की अर्थव्यवस्था में भारत की भूमिका और फाइव ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ बढ़ते हुए भारत के कदम को आधारभूत करने के लिए मोदी जी के नेतृत्व में चल रही सरकार ने अलग-अलग क्षेत्रों में प्रगति का एक रोड मैप बनाया है।... (व्यवधान) उस रोड मैप को बनाते वक्त छोटे किसानों की चिंता, छोटे व्यवसाय की चिंता और उसके साथ-साथ रेहड़ी-पटरी वालों की भी चिंता करने का काम मोदी जी की सरकार ने किया है।... (व्यवधान) मुझे बताते हुए बड़ा

[7*]राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्ताव प्रस्तुत

गर्व होता है कि मोदी जी की सरकार ने, जो वर्षों से छोटे किसान, गरीब और गांव एवं छोटे व्यवसायी जिसका प्राण रहे हैं, ऐसी सहकारी संस्थाओं को मजबूती देने के लिए यह बहुराज्य सहकारी सोसायटी (संशोधन) विधेयक को लाया गया है।... (व्यवधान) इस देश में करीब आठ लाख कोऑपरेटिव सहकारी मंडलियां हैं ।... (व्यवधान) पूरे देश में 1600 मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सहकारी मंडलियां हैं ।... (व्यवधान) जिनमें से 570 मंडलियां महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्य में हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार, माननीय प्रधान मंत्री जी और माननीय सहकारिता मंत्री, अमित शाह जी के प्रति बहुत-बहुत आभार प्रकट करता हूं कि जिन्होंने इस क्षेत्र के महत्व को समझा और न केवल महत्व को समझा बल्कि उपाय-योजना करते हुए, जब से यह सहकारिता मंत्रालय स्थापित हुआ है, तब से महाराष्ट्र में गन्ना उत्पादकों को बहुत राहत मिली है । यहां गन्ना उत्पादक किसानों का एक बहुत बड़ा वर्ग है। 21 हजार प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटियों को पूरी तरह से राहत देने के लिए बहुत सालों से जो इनकम टैक्स का प्रावधान था, जिसमें एक बड़ी राहत देने की घोषणा, हमारी सरकार ने की है ।... (व्यवधान) इसके लिए मैं माननीय प्रधान मंत्री जी और माननीय सहकारिता मंत्री जी का आभारी हूं ।... (व्यवधान) इसके साथ-साथ वर्षों से जिन निवेशकों ने अपना पैसा गंवाया था, ऐसे सहारा सहकारी मंडली में भी पैसा वापस देने के लिए सहारा, सहकारी रिफंड पोर्टल का भी प्रारंभ इस सरकार ने किया है। इसके लिए मैं सरकार का आभारी हूं।... (व्यवधान) इसके साथ-साथ अगर आप इस बिल के प्रावधान देखेंगे, तो जो ये सारे निर्णय हैं, ये सहकारी मंडलियों के ऊपर या मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटियों के ऊपर बिल लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि देश में बड़े पैमाने पर छोटे गांव से लेकर मध्यम शहरों तक इन सहकारी मंडलियों के माध्यम से एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, दूध उत्पादन के क्षेत्र में, शुगर के क्षेत्र में, इन सभी क्षेत्रों में ये मंडलियां कार्यरत थीं । लेकिन इन मंडलियों के ऊपर मल्टी स्टेट के लाइसेंस होने के साथ-साथ किसी तरीके का अंकुश रखने का प्रावधान नहीं होने के कारण बहुत सारी मंडलियों के अंदर घोटाले के मामले पाए गए। इन घोटालों के मामलों के ऊपर प्रतिबंध लगाने के लिए इस सहकारी क्षेत्र में आम जनता का विश्वास बना रहे, इसलिए यह सहकारी अमेंडमेंट बिल लाया गया है, जिसके अंदर सरकार अपनी भूमिका तय कर

रही है ।... (व्यवधान) सरकार की यह भूमिका इन सहकारी मंडलियों में, क्योंकि अगर हमें फाइव ट्रिलियन की इकोनॉमी पर जाना है, तो बड़े-बड़े उद्योगों के साथ में सहकार का भी अपना एक महत्व है, यह हमारी सरकार ने समझा है ।... (व्यवधान) इसलिए सहकार के महत्व को जताने के लिए और सहकार के अंदर तथा जनमानस के अंदर विश्वास बढ़ाने के लिए इस बिल को लाया गया है ।... (व्यवधान) न केवल सुचारू ढंग से इन सहकारी मंडलियों का संचालन हो, अपने आप में पारदर्शी और सेल्फ-रिलायंट ये सहकारी मंडलियां हो जाएं, इसके लिए इस बिल का उपयोग होना है ।... (व्यवधान) प्रोफेशनल तरीके से नए वातावरण में पनपने के लिए, एक नया उच्चांक लेने के लिए इस सहकारी बिल की और सहकारी मंडलियों को सक्षमीकरण की आवश्यकता थी, जिसके सारे प्रावधान इस बिल के अंदर किए गए ।... (व्यवधान) मैं कुछ बिन्दुओं के ऊपर अपने विचार रखूंगा ।

अध्यक्ष महोदय, जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत बार इन सहकारी मंडलियों में डिफॉल्ट करने वाले डायरेक्टर अपने-अपने तरीके से यहां पर डिफॉल्ट करते थे, लोगों के पैसे का गबन करते थे और दूसरी सहकारी मंडली स्थापित करके या दूसरी सहकारी मंडली में जाकर वह चुनाव लड़ते थे ।... (व्यवधान) इस बिल के प्रावधान के कारण उनके ऊपर प्रतिबंध लगेगा । अगर एक सहकारी मंडली में किसी ने घोटाला किया है तो वह दूसरी सहकारी मंडली में सदस्य या डायरेक्टर पद पर नहीं जा पाएगा ।... (व्यवधान) इस बिल के अंदर यह सबसे बड़ा प्रावधान किया गया है । इसके साथ-साथ इस बिल को सक्षमीकरण देने के लिए हमने देखा था कि पहले डायरेक्टर अपने सगे-संबंधियों को लाभ के पदों पर या इन सहकारी मंडलियों में सीईओ की पोस्ट पर या अलग-अलग पोस्ट पर रखता था । ... (व्यवधान) इस बिल के आने के बाद यह भी प्रावधान किया गया है कि वह अपने सगे-संबंधियों को, उसकी बड़ी व्याख्या की गई है और 20-22 तरीके के सगे-संबंधी बताये गए हैं, न केवल चाचा-मामा, बल्कि आने वाले दिनों में अपनी पत्नी के रिश्तेदारों को भी डायरेक्टर यहां पर नौकरियां नहीं दे पाएगा । ... (व्यवधान) ऐसा प्रावधान इस बिल में किया गया है और उस पर अंकुश लगाने का काम किया गया है । मैनेजमेंट को प्रोफेशनल तरीके से बैंकिंग एक्सपर्ट, प्रोफेशनल एक्सपर्ट, कोऑपरेटिव के जानकर व्यक्तियों ने एससी, एसटी और महिलाओं के अधिकार को भी अबाधित रखने के लिए इस बिल में

प्रावधान किया गया है।... (व्यवधान) कोऑपरेटिव इनफॉर्मेशन ऑफिसर की नियुक्ति के कारण सदस्यों को जब-जब जानकारी चाहिए, तो वह जानकारी लेने का काम भी इस कोऑपरेटिव इनफॉर्मेशन ऑफिसर के माध्यम से हो सकता है।... (व्यवधान) सेल्फ-सफिशिएंट तरीके से सही मायने में इस बिल का जो बड़ा पॉइंट है, तो इस बिल में ऐसी व्यवस्था है कि इसके अंदर सहकारी पुनर्वास, पुनर्निर्माण एवं विकास निधि का प्रोविजन किया गया है।... (व्यवधान) जो सिक या बीमारू कोऑपरेटिव मंडलियां रहेंगी, उनको अच्छे तरीके से पुनर्जीवित करने के लिए, उनको अच्छे तरीके से पुनर्व्यवसाय में लाने के लिए इस बिल में इस फंड की व्यवस्था की गई है।... (व्यवधान) इस देश में यह पहली बार हुआ है कि सहकारी क्षेत्र के अंदर निवेशकों का ध्यान रखने के लिए, सहकारी मंडली के सदस्यों का ध्यान रखने के लिए सरकार ने एक फंड की घोषणा की है, जिसके कारण कोऑपरेटिव बैंक से लेकर सभी जगहों पर छोटे निवेशकों का जो हित बाधित होता है, सरकार उसकी चिंता कर रही है।... (व्यवधान) इस बिल के अंदर यह सबसे बड़ी बात है कि सरकार ने उन छोटे निवेशकों की इन सहकारी मंडली के सदस्यों की चिंता की है, जिसके कारण ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री लावू श्रीकृष्णा देवरायालू। आप दो मिनट में अपनी बात खत्म कीजिए।

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री लावू श्रीकृष्णा देवरायालू (नरसाराओपेट): माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे बहुराज्य सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2022 पर बोलने का अवसर देने के लिए आपका धन्यवाद।

मैं सिर्फ यह कहूंगा ... (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : लावू जी, एक मिनट रुकिये। माननीय सदस्य, आप अपनी बात जल्दी खत्म कीजिए।

... (व्यवधान)

श्री मनोज कोटक : अध्यक्ष जी, मुझे लगता है कि इस बिल के अंदर जिस तरह के प्रावधान का उपयोग किया गया है या जिस तरह के प्रावधान रखे गए हैं, सहकारी क्षेत्र के अंदर जो पूरे देश में एक अलग तरीके का वातावरण बनाने की मोदी जी की सरकार की योजना है, उसका पूरा समर्थन करने का प्रावधान इस बिल के अलग-अलग प्रावधानों में किया गया है।... (व्यवधान) मुझे लगता है कि इस सदन में सभी को इस बिल का समर्थन करते हुए भारत के अंदर 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ जब हम जा रहे हैं, तो सहकार एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। सहकारी मंडलियों को समर्थन देने के लिए सरकार की इस योजना के तहत इस बिल का सभी समर्थन करें, ऐसा मेरा विश्वास है।... (व्यवधान) बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि यह एक बहुत ही महत्त्वपूर्ण बिल है। आप लोग अपनी-अपनी सीट्स पर जाएं, अपने विचार व्यक्त करें। सहकारिता के माध्यम से हम लोग देश में आर्थिक परिवर्तन कैसे ला सकते हैं, ऐसे महत्त्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो रही है, इसलिए मैं पुन: आग्रह करता हूँ कि आप लोग अपनी-अपनी सीट्स पर जाएं।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : यह तरीका अपनाना छोड़ दें। मैं आप लोगों से फिर कह रहा हूँ।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय नेता, आप इनको समझा दीजिए। सदन में इस तरह से करना मर्यादित तरीका नहीं है।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री लावू श्रीकृष्णा देवरायालू।

[अनुवाद]

श्री लावू श्रीकृष्णा देवरायालू: धन्यवाद महोदय, मुझे बहु-राज्य सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2022 पर बोलने की अनुमति देने के लिए आपका धन्यवाद। ... (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : यदि आप मर्यादा तोड़ेंगे, तो मुझे कार्रवाई करनी पड़ेगी।

… (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री लावू श्रीकृष्णा देवरायालू: मुझे बहुराज्य सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2022 पर बोलने की अनुमति देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, महोदय।

सहकारी आंदोलन इस देश का आधार रहा है। इसने ग्रामीण अर्थव्यवस्था का बहुत विकस किया है और कई राज्य अर्थव्यवस्थाओं को भी आगे बढ़ाया है। … (*व्यवधान*)

इस विधेयक की बात करें तो इस विधेयक में बहुत सारी अच्छी बातें हैं। मैं अपनी बात यह कहकर आरम्भ करना चाहती हूँ कि इस बोर्ड में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदाय के सदस्यों और महिला सदस्यों को भी शामिल किया जाना चाहिए। दूसरा, धारा 45 के संबंध में है - सहकारी चुनाव प्राधिकरण की स्थापना जिसमें यह सुनिश्चित किया जाता है कि बिना किसी चुनाव के बोर्ड होने के बजाय चुनाव नियमित रूप से हों। … (*व्यवधान*)

धारा 63ए के संबंध में, सहकारी पुनर्वास की स्थापना, पुनर्निर्माण विकास निधि एक अच्छा कदम है। इस विधेयक पर मेरे तीन सुझाव हैं। पहला धारा 63ए के संबंध में है। यह रुग्ण सहकारी समितियों के संबंध में एक नया मुद्दा है। लाभ से पहले से ही, 25 प्रतिशत कर के रूप में भुगतान किया जाता है, अन्य 25 प्रतिशत का उपयोग वैधानिक भंडार के रूप में किया जाता है, 10 प्रतिशत का उपयोग खराब ऋण भंडार के रूप में किया जाता है और एक प्रतिशत का उपयोग शिक्षा के लिए किया जाता है। यह लगभग 61 प्रतिशत है। इसके अलावा, रुग्ण सहकारी समितियों के लिए एक प्रतिशत शुल्क लगाया जा रहा है। इसलिए, मुझे आशा है कि आप कोई न कोई रास्ता खोज लेंगे ताकि हम रुग्ण सहकारी समितियों के लिए वास्तव में सहकारी समितियों पर फिर से कर लगाने के बजाय किसी अन्य तरीके से यह एक प्रतिशत शुल्क लें सकें … (*व्यवधान*)

दूसरा विषय बैंकिंग विनियमन से संबंधित है। इसे इसमें शामिल किया गया है। मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि बैंकिंग विनियमन को केवल बैंकिंग नियामक गतिविधियों तक ही सीमित रखा जाना चाहिए और इसे इन सहकारी समितियों के निगमन, विनियमन और समापन के लिए लागू नहीं किया जाना चाहिए। ... (*व्यवधान*) तीसरे विषय में केंद्रीय रजिस्ट्रार को शामिल किया गया है। उन्हें कई शक्तियां प्रदान की गई हैं। वह किसी भी बहु-राज्य सहकारी समिति को रुग्ण घोषित कर सकते हैं और उसे अपने अधिकार में ले सकते हैं। अतः, केंद्रीय रजिस्ट्रार ऐसा व्यक्ति नहीं होना चाहिए जो अत्यधिक शक्तियों का प्रयोग कर सके, जिनके पास समाधान के लिए कोई भी न जा सके। ... (*व्यवधान*)

हमें धारा 123 के खंड 45 पर कुछ आपत्तियां हैं जो केंद्र को एक ऐसे प्रशासक नियुक्त करने की शक्ति देता है जो इस सोसाइटी का सदस्य नहीं हो सकता । अतः मुझे आशा है कि मंत्री जी इस मामले की जांच करेंगे। हमारी ओर से अनुरोध है कि हम चाहते हैं कि सहकारी आंदोलन केंद्र सरकार द्वारा शासित होना चाहिए और उसका पथ प्रदर्शन किया जाना चाहिए न कि केंद्र सरकार द्वारा निर्देशित और अतिरंजित। इसे केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रित किया जाना चाहिए। तभी यह सहकारी आंदोलन आगे बढ़ सकेगा। यह देखकर अच्छा लगा कि 75 वर्षों के बाद कोई सहकारिता मंत्री बना है। ... (*व्यवधान*)

बहुत-बहुत धन्यवाद।

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, क्या आप बोलना चाहते हैं?

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री सदाशिव लोखंडे ।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री रामशिरोमणि वर्मा ।

... (व्यवधान)

श्री रामशिरोमणि वर्मा (श्रावस्ती): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बहुराज्य सहकारी सोसायटीज (संशोधन) विधेयक, 2022 पर अपने विचार रखने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूँ।... (व्यवधान)

महोदय, जैसा कि ज्ञात है, यह संशोधन विधेयक लाने का आशय यह है कि कुछ बहुराज्य सहकारी समितियों में अनियमितताओं से संबंधित होने वाली घटनाओं का निवारण कैसे किया जाए, उदाहरण के रूप में वित्तीय गबन, सहकारी समितियों में चुनाव कराने में विलम्ब और विवाद, लेखापरीक्षकों का पक्षपातपूर्ण चयन, भर्तियों में पक्षपात, प्रतिभागिता की कमी को रोकने के लिए मैं, इस बहुराज्य सहकारी (संशोधन) विधेयक, 2022 का स्वागत करता हूँ।... (व्यवधान)

किसी बहुराज्य सहकारी समिति को परिचालन से पहले उसका पंजीकरण कराना अनिवार्य होता है। ... (व्यवधान) इस पंजीकरण में घोर भ्रष्टाचार के चलते अनेकों कमियों को बताते हुए अधिकारियों द्वारा पंजीकरण विलंब से किया जाता है, जिससे सोसाइटी, जो व्यापार करने के उद्देश्य से आई हैं, उनको तरह-तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ... (व्यवधान)

बहुराज्य सरकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2022 में पूर्ण रूप से सोसाइटी के बोर्ड की संरचना में महिलाओं के लिए आरक्षित सीट का प्रावधान है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण की व्यवस्था देने का प्रावधान है, इसलिए, मैं इस बिल का समर्थन करता हूं। धन्यवाद। ... (व्यवधान)

श्री संतोष कुमार गंगवार (बरेली) : माननीय अध्यक्ष जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने इस महत्वपूर्ण बिल के ऊपर मुझको बोलने का मौका दिया। ... (व्यवधान) मैं इतना ही बताना चाहूंगा कि सहकारिता एक ऐसा क्षेत्र है, जिसकी अपनी अलग पहचान है। ... (व्यवधान) हमारे देश के अंदर सहकारिता का इतिहास करीब 125 वर्ष पुराना है। ... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, दुर्भाग्य यह है कि हम जिस प्रदेश से आते हैं, वहां आजादी के बाद से, जब से सहकारिता का हिसाब-किताब चला है, जो भी दल आया, उसने राजनीतिक रूप से इसका उपयोग किया और सहकारिता को नुकसान पहुंचाने का काम किया। ... (व्यवधान) हमारी सरकार के आने के

बाद, मैं आपके माध्यम से आदरणीय प्रधान मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने इसमें भारी परिवर्तन किए और वर्ष 2022 में परिवर्तन के माध्यम से बहु-राज्य सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक लाने का काम किया है। ... (व्यवधान) उन्होंने सहकारी बैंकों को एक सही दिशा में ले जाने का काम किया है। ... (व्यवधान) वास्तव में इस बिल के माध्यम से पारदर्शिता भी आएगी और जैसा कि हमारी जानकारी में आया है कि अब सूचना अधिकारी, सहकारी लोकपाल जैसे प्रावधान हुए हैं। ... (व्यवधान) इसके माध्यम से अब सहकारी बैंक सही ढंग से काम करेंगी और उत्तर प्रदेश के अंदर भी यह सहकारिता का आंदोलन सही ढंग से काम करेगा। ... (व्यवधान)

अध्यक्ष जी, मैं स्वयं इस सहकारिता आंदोलन से जुड़ा हूं। ... (व्यवधान) इसलिए, मैं इतना जानता हूं कि देश के अंदर सहकारी समितियां, जो कार्यरत हैं, अब उनमें पारदर्शिता भी नजर आ रही है और मैं अपने जिले में देखता हूं कि वास्तव में किस प्रकार से अनियमितताओं को हमारी सरकार के माध्यम से दूर करने का काम हो रहा है। ... (व्यवधान) अत: मैं एक बार फिर से आपके माध्यम से आदरणीय प्रधान मंत्री जी और आदरणीय गृह मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने इस गंभीर मुद्दे की ओर ध्यान दिया। ... (व्यवधान) अब सहकारी आंदोलन देश के अंदर सहकारी सोसाइटियों की एक अलग पहचान बनाने का काम करेगा। ... (व्यवधान) अब एक सही दिशा में काम होगा, ऐसा हमारा मानना है। ... (व्यवधान) मैं आपके माध्यम से एक बार फिर से सरकार को इस क्षेत्र के लिए काम करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। ... (व्यवधान) धन्यवाद ।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन जी – क्या आप बोलना चाहते हैं?

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री अधीर रंजन चौधरी जी – क्या आप बोलना चाहते हैं?

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : क्या अन्य कोई माननीय सदस्य बोलना चाहता है?

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी – आप बोलिए।

… (व्यवधान)

श्री अमित शाह : माननीय अध्यक्ष जी, आज इस बिल पर दो-तीन सदस्यों ने अपने-अपने विचार रखे हैं। ... (व्यवधान) मैं अपने मंत्रालय की ओर से इन सभी को धन्यवाद करना चाहता हूं। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आज इस महान सदन के सामने एक महत्वपूर्ण बिल लेकर आया हूं, जो न केवल बहुराज्य सहकारी समितियों को, परंतु उनको एक अवधारणा के रूप में स्वीकार करते हुए प्राथमिक सहकारी समितियों और राज्य की सहकारी समितियों में भी एक प्रकार के संस्कार और कार्य संस्कृति की निर्मिति करेगा। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष जी, जब से देश आजाद हुआ है, तब से सहकारी क्षेत्र के अंदर काम करने वाले सभी कार्यकर्ता यह चाहते थे कि सहकारी क्षेत्र को केंद्र सरकार की ओर से तवज्जो दी जाए। सहकारी क्षेत्र को तवज्जो देने के लिए भारत सरकार में अलग सहकारिता मंत्रालय बनाया जाए। ... (व्यवधान) मैं आज देश भर की 8 लाख सहकारी समितियों, करोड़ों किसानों और 60 करोड़ ग्रामीण गरीबों की ओर से प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने सहकारिता मंत्रालय की स्थापना की।... (व्यवधान)

महोदय, सहकारिता क्षेत्र हमारे देश में लगभग 120 साल पुराना है और सहकारिता क्षेत्र ने कई ऐसे महत्वपूर्ण उपक्रम देश को नजीर किए हैं, जो आज लाखों-लाखों लोगों को रोजगारी दे रहे हैं।... (व्यवधान) मैं कुछ उदाहरण जरुर देना चाहूँगा।... (व्यवधान) अमूल हमारे गुजरात का एक सहकारी उपक्रम है।... (व्यवधान) जो दुग्ध उत्पादकों का, राज्य सरकार का फेडरेशन है।... (व्यवधान) उसमें आज 36 लाख बहनें हर रोज दूध देकर 58 हजार करोड़ रुपये का व्यापार करती हैं।... (व्यवधान) मैं इस बात पर भी सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ कि 58 हजार करोड़ रुपये के व्यापार वाला जो यह उपक्रम है, इस उपक्रम में किसी ने 100 रुपये से ज्यादा पूँजी नहीं लगायी है।... (व्यवधान) सिर्फ 100 रुपये की पूँजी से 58 हजार करोड़ रुपये का उपक्रम बना है।... (व्यवधान) इसी तरह से कृभको, इफको है, पहले लिज्जत था।... (व्यवधान) इस प्रकार कई बड़े-बड़े उपक्रम देश में सहकारिता के

माध्यम से चले हैं।... (व्यवधान) परन्तु विगत 75 सालों में न सहकारिता आन्दोलन पर कोई ध्यान दिया गया, न उसके कानूनों में पुन: रचना की सार्वजनिक रुप से चर्चा हुई, न देश की संसद में राष्ट्रीय स्तर पर, न राज्य स्तर पर सहकारिता आन्दोलन को बदलने के लिए मंथन किया गया। मोदी जी के नया सहकारिता मंत्रालय बनाने के बाद, मैं विश्वास से कह सकता हूँ कि आने वाले 25 साल में, मतलब, जब देश आजादी की शताब्दी मना रहा होगा, तब सहकारिता आन्दोलन फिर से पुरजोर तरीके से देश के विकास में अपना योगदान देगा।... (व्यवधान)

महोदय, पिछले दो सालों में सहकारिता आन्दोलन में आमूलचूल परिवर्तन करने का काम प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है।... (व्यवधान) सबसे पहला काम पैक्स में हुआ है।... (व्यवधान) जो पैक्स सहकारिता आन्दोलन की आत्मा होती है, उस पैक्स को पुनर्जीवित करना, उस पैक्स को वायबल करना, पैक्स के अंदर पारदर्शिता लाना और पैक्स को बहुआयामी, मल्टिडाइमेंशनल बनाने के लिए बहुत सारे प्रयास किए हैं।... (व्यवधान) अगर पैक्स में पारदर्शिता लानी है, पैक्स को आधुनिक बनाना है तो उसकी सबसे पहली जरुरत कम्प्यूटराइजेशन की थी।... (व्यवधान)

महोदय, इस मंत्रालय के बनने के बाद पहला कैबिनेट नोट मोदी जी ने हमारे मंत्रिमंडल में अप्रूव किया और 63 हजार पैक्स को 2516 करोड़ रुपया देकर संपूर्ण भारत के पैक्स का कम्प्यूटराइजेशन करने का काम किया।... (व्यवधान) मैं कहना चाहता हूँ कि पैक्स के कम्प्यूटराइजेशन से पैक्स डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव बैंक्स के साथ जुड़ेंगे,... (व्यवधान) स्टेट कोआपरेटिव बैंक्स के साथ जुड़ेंगे और साथ में नाबार्ड के साथ भी सीधा उनका जुड़ाव हो जाएगा। ... (व्यवधान) ऑडिट की प्रक्रिया संपूर्ण रुप से ऑनलाइन होगी और सिस्टम इंटीग्रेटर फाइनल होने के बाद पैक्स कई प्रकार के नए व्यवसायों से जुड़ेंगे, जिससे इसकी वायबिलिटी में बहुत बड़ा फायदा होगा।... (व्यवधान)

महोदय, हमने तीसरा काम यह किया है कि पैक्स के लिए एक मॉडल बायलॉज बनाकर सभी राज्यों को भेजा है।... (व्यवधान) जैसे पैक्स राज्य सरकार के सहकारिता कानून में आते हैं, परन्तु सहकारिता मंत्रालय ने पैक्स के लिए मॉडल उपविधियां बनायीं।... (व्यवधान)

सभी राज्यों को इन्हें एडवाइजरी के रूप में भेजा। मुझे आनंद है कि बंगाल और केरल को छोड़कर सभी राज्यों ने इसे स्वीकार कर लिया है और आज देश भर के पैक्स एक ही बायलॉज कानून से चल रहे हैं।... (व्यवधान) पैक्स अब डेयरी भी बन पाएंगे, पैक्स अब मछुआरा समिति भी बन पाएंगे और पैक्स ढेर सारे काम करेंगे। हमने एफपीओ, जो पहले प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी, पार्टनरशिप कम्पनी और प्रोपराइटरशिप तक सीमित था, अब पैक्स एफपीओ का भी काम करेगा और ग्यारह सौ पैक्स एफपीओ के नाम से रजिस्टर हो जाएंगे।।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष जी, मोदी जी ने एक प्रकार से 13 करोड़ गरीबों को गैस का सिलेंडर दिया है। ढेर सारे सिलेंडर देने के कारण बहुत सारी वितरण करने वाली संस्थाओं की जरूरत उठ खड़ी हुई है और पैक्स नए बायलॉज के हिसाब से एलपीजी के वितरण का काम कर पाएंगे। मोदी जी देश के साठ करोड़ गरीबों को प्रति माह प्रति व्यक्ति पांच किलो अनाज फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं।... (व्यवधान) इस रिटेल आउटलेट पर भी अब पैक्स का अधिकार होगा और पैक्स रिटेल आउटलेट भी कर पाएंगे। नरेन्द्र मोदी जी ने साठ करोड़ लोगों के लिए जेनरिक दवाइयों की दुकानें खोली हैं, जिन्हें 'जन औषधि केंद्र' के नाम से पूरा देश जानता है। ये 'जन औषधि केंद्र' पहले पैक्स नहीं चला पाते थे, लेकिन अब पैक्स 'जन औषधि केंद्र' भी चला पाएंगे।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष जी, रुपे क्रेडिट कार्ड पहले पैक्स और डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक के लिए नहीं था, अब विगत महीने जो निर्णय हुआ है, उससे रुपे क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड, दोनों पैक्स के मेम्बरों को दिए जाएंगे।... (व्यवधान) मोदी जी ने साठ करोड़ गरीबों के लिए हर घर में 'नल से जल' का कार्यक्रम किया है। 'नल से जल' तो घरों में पहुंचाएंगे, मगर इस सिस्टम को अगर नियमित रूप से कोई मेनटेन नहीं करता है, तो जल आपूर्ति अबाध तरीके से नहीं चल सकती है। जल आपूर्ति को अबाध तरीके से चलाना है तो पानी समिति चाहिए, जो गांव के पानी के वितरण की व्यवस्था को मेनटेन करे। पैक्स एक पानी समिति बनकर वितरण की व्यवस्था का भी काम करेंगे।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष जी, इसके साथ-साथ पैक्स को हमने भंडारण क्षमता के साथ भी जोड़ने का काम किया है और अब पैक्स भंडारण का भी काम करेंगे, जिन्हें एफसीआई किराये पर लेगी। इससे गांव

के अनाज का गांव में ही भंडारण होगा और गांव में ही सब गरीब लोगों को वितरित किया जाएगा। इससे पैक्स को एक नए प्रकार की इनकम का फायदा होने वाला है।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष जी, गत बजट में सहकारिता संबंधी घोषणाओं के लिए मैं माननीय मोदी जी का बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। सालों से सहकारिता के साथ जो अन्याय होता था, कोऑपरेटिव और कॉरपोरेट दो अलग टैक्स थे। मोदी जी ने और वित्त मंत्री जी ने गत बजट में सहकारिता समितियों और कॉरपोरेट कम्पनियों के टैक्स को एक प्लेटफार्म पर लाने का काम किया है। सहकारी समितियों के आय कर पर लगने वाले अधिभार में कटौती कर दी गई है। आय कर अधिनियम की धारा 269 एसटी के तहत 2 लाख रुपये से अधिक नकद लेनदेन की भी परमिशन दी है, जो पहले 20 हजार रुपये थी।... (व्यवधान) सहकारी बैंकों को जो कठिनाइयां होती थीं, मैं अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की बात करता हूं, इसे वन टाइम सेटलमेंट करने का अधिकार अब राष्ट्रीयकृत बैंकों की तरह ही कोऑपरेटिव बैंकों को दे दिया गया है। इसके साथ-साथ, यदि दस प्रतिशत नई ब्रांचेज खोलनी हैं, तो रिजर्व बैंक की परमिशन लेने की कोई जरूरत नहीं है।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष जी, पीएसएल लक्ष्यांकों के प्रति भी समय सीमा तीन साल तक बढ़ाने का काम किया है, जिससे अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों को बहुत बड़ा फायदा होगा।... (व्यवधान) आरबीआई में अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों की समस्याओं के लिए एक नोडल अधिकारी को भी नामित किया गया है।... (व्यवधान)

आरबीआई ने 'डोरस्टेप बैंकिंग' के लिए अब नेशनलाइज्ड और प्राइवेट बैंकों के साथ-साथ को-ऑपरेटिव बैंकों को भी परमिशन दे दिया है, जिससे अब वे 'डोरस्टेप' सेवाएं भी दे पाएंगे।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष जी, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश के किसान अपने गन्ने को को-ऑपरेटिव मिलों में भेजते हैं, मगर, जब गन्ने के मिल का नफा किसान के पास जाता था, तब उस पर 30 प्रतिशत इनकम टैक्स काटा जाता था और किसान के गाढ़े पसीने की कमाई इनकम टैक्स में चली जाती थी।... (व्यवधान) मैं मोदी जी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने किसान को दिए जाने वाले मुनाफे पर से टैक्स को पूर्णतया हटा दिया... (व्यवधान) यह टैक्स सिर्फ हटा दिया गया, इतना ही नहीं

है, बल्कि पूर्व में जो टैक्स दिया जाना था, उसके 10,000 करोड़ रुपये से 15,000 करोड़ रुपये तक राहत देने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष जी, तीन नयी बहुराज्यीय को-ऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनाई है । पहली बहुराज्यीय को-ऑपरेटिव सोसाइटी किसान की उपज को निर्यात करने के लिए प्लेटफॉर्म के नाते काम में आएगी।... (व्यवधान) अगर उस उपज के प्रोडक्ट को, क्रॉप को डायवर्सिफाई करना है तो उसे अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में जाना पड़ेगा, परन्तु, किसानों के पास न इतनी क्षमता थी, न इतना ज्ञान था, न इतनी पूंजी थी।... (व्यवधान) अगर किसान इन सबको पैदा करता है, तब भी वह एक्सपोर्ट नहीं कर सकता था।... (व्यवधान) अगर कोई किसान जीरे का उत्पादन करता है तो वह उसका एक्सपोर्ट नहीं कर पाता था।... (व्यवधान) अगर वह लौंग का उत्पादन करता है तो वह उसका एक्सपोर्ट नहीं कर पाता था।... (व्यवधान) अगर वह इलायची उत्पन्न करता है तो वह उसका एक्सपोर्ट नहीं कर पाता था।... (व्यवधान) एक किसान का 100 किलोग्राम से ज्यादा जो भी मैटेरियल होगा, उसे एक्सपोर्ट करने का प्लेटफॉर्म यह निर्यात सोसायटी बनेगी और क्रॉप डायवर्सिफिकेशन में यह बहुत महत्वपूर्ण होगी।... (व्यवधान)

महोदय, इसके साथ-साथ हमने एक और सहकारी समिति बनाई है, जो बीजों के उत्पादन में छोटे किसानों को जोड़ेगी।... (व्यवधान) अब तक बीज के उत्पादन में बड़े किसान ही जुड़ पाते थे, परन्तु अब प्राथमिक सहकारी समिति के माध्यम से यह बहुराज्यीय बीज उत्पादक सहकारी समिति एक एकड़ या आधे एकड़ के किसान को भी बीज उत्पादन से जोड़ेगी और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ वह सहकारी समिति सारी फॉर्मैलिटीज़ करेगी।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष जी, मोदी जी ने खाद के प्रयोग को कम करके करोड़ों हिन्दुस्तानियों और दुनिया भर के स्वास्थ्य को ठीक करने का बीड़ा उठाया है, धरती के स्वास्थ्य को भी ठीक करने का बीड़ा उठाया है, इसलिए अब ऑर्गेनिक क्रॉप बढ़ रहा है, प्राकृतिक खेती बढ़ रही है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स में फर्टिलाइजर्स का उपयोग कम हो रहा है।... (व्यवधान) आज किसान प्राकृतिक खेती तो करता है, मगर उसको उसके प्रोडक्ट्स का उचित दाम नहीं मिलता है, तो भारत सरकार ने एक नई

सहकारी समिति बनाई है, जो देश और दुनिया में ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग करके किसानों को उचित भाव दिलाने का काम करेगी ।... (व्यवधान) हमने सहकारी को-ऑपरेटिव सोसाइटीज़ चीनी मिलों को एन.सी.डी.सी. के माध्यम से 10,000 करोड़ रुपये का लोन देकर इथेनॉल संयंत्र लगाने का भी फैसला किया है ।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष जी, सहकारी शिक्षण के लिए आने वाले दिनों में भारत सरकार एक को-ऑपरेटिव यूनिवर्सिटी का बिल लाकर राष्ट्रीय स्तर पर नयी सहकारिता प्रशिक्षण का एक विश्वविद्यालय स्थापित करने जा रही है, जो इन सारी गतिविधियों में आगे बढ़ेगा ।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष जी, हमारे देश में सहकारिता का कोई डेटाबेस नहीं था ।... (व्यवधान) हमने तय किया कि आठ लाख समितियां और इसके साथ-साथ ड्राई एरिया को आइडेंटिफाई करने के लिए, जहां पर सहकारी समिति नहीं है, इसे इंगित करने के लिए हम राष्ट्रीय स्तर पर एक सहकारी डेटाबेस बनाएंगे ।... (व्यवधान) यह राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस बनाने का काम शुरू हो गया है ।... (व्यवधान) मुझे सदन को यह बताते हुए आनन्द हो रहा है कि इसका 95 प्रतिशत काम समाप्त हो गया है और इस विजयादशमी के पहले हम राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस को प्रधान मंत्री जी के हाथों से ऑनलाइन करने का काम करने वाले हैं ।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष जी, वर्ष 2002 में अटल जी की नीति के बाद कभी सहकारी नीति नहीं आई । जब अटल जी की सरकार थी, भाजपा की सरकार थी, तब सहकारी नीति आई थी । ... (व्यवधान) वर्ष 2002 से वर्ष 2020 तक कभी भी सहकारी नीति नहीं आई ।... (व्यवधान) हम विजयदशमी के पहले, ज्यादा से ज्यादा दीपावली के पहले नई राष्ट्रीय सहकारी नीति भी ले कर आएंगे, जो आने वाले 25 सालों का सहकारिता का मानचित्र समग्र देश और दुनिया के सामने रखेगा । ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष जी, हमने केंद्रीय पंजीयक कार्यालय को कंप्यूटराइज्ड करने का काम आरंभ किया है । ... (व्यवधान) मैं आज आगे की कड़ी में एक विधेयक ले कर आया हूँ, जिस पर मैं बात करूंगा । ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से समग्र देश को कहना चाहता हूँ कि मोदी जी ने इस देश के 7 करोड़ गरीबों को इन 9 सालों में गरीबी से मुक्त करने का बहुत बड़ा यज्ञ शुरू किया है। ... (व्यवधान) कांग्रेस पार्टी का नारा था कि गरीबी हटाओ। ... (व्यवधान) उन्होंने गरीबी नहीं हटाई। ... (व्यवधान) गरीब को हटाने का काम किया। ... (व्यवधान) गरीबी हटाने का काम इस देश के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। ... (व्यवधान) मोदी जी ने इस देश के गरीबों को बैंक अकाउंट दे कर अर्थतंत्र के साथ जोड़ा। ... (व्यवधान) नरेंद्र मोदी जी ने हर घर को गैस दे कर, महिलाओं को धुएं से बचाया। ... (व्यवधान) मोदी जी ने हर गरीब को शौचालय दे कर महिलाओं का सम्मान किया। मोदी जी ने हर गरीब के घर में बिजली पहुंचा कर उसको उजाला देने का काम किया। मोदी जी ने हर गरीब को 5 लाख तक की स्वास्थ्य की सुविधाएं फ्री ऑफ कॉस्ट कर दी।... (व्यवधान) मोदी जी ने हर गरीब को प्रति माह 5 किलो प्रति व्यक्ति अनाज फ्री ऑफ कॉस्ट दे कर उसको कल क्या खाना है, इसकी चिंता से मुक्त कर दिया है। ... (व्यवधान) मोदी जी ने वजीफा बढ़ा कर बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था की और गांवों के अंदर सारी सुविधाएं कर दी। ... (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष जी, अब जरूरत है उनको रोज़गार देने की। ... (व्यवधान) अध्यक्ष जी, जिसके पास पूंजी नहीं है, उसको रोज़गारी कैसे मिलेगी? ... (व्यवधान) उसको रोज़गारी मिलने का एकमात्र ज़रिया है किसानी और कोऑपरेटिव मूवमेंट। ... (व्यवधान) इस किसानी और कोऑपरेटिव मूवमेंट को ज्यादा सशक्त करने के लिए नरेंद्र मोदी जी ने सहकारिता आंदोलन की मजबूती के लिए यह सहकारिता मंत्रालय बनाया है। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष जी, आज मैं इस सदन के सामने जो बिल ले कर उपस्थित हुआ हूँ, अब मैं उसके बारे में बात करना शुरू करता हूँ। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष जी, हमारे देश में बहुराज्य सहकारी कोऑपरेटिव सोसाइटी केंद्र का विषय है। ... (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष जी, हमारे देश में यह बहुराज्य सहकारी समिति केंद्र का विषय है। ... (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष जी, सालों पहले 97वां संविधान संशोधन किया गया, मगर किसी ने उस 97वें संशोधन को लागू नहीं किया। ... (व्यवधान) नरेंद्र मोदी जी ने मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी

में पारदर्शिता, जवाबदेही और उसका मुनाफा बढ़े, इसलिए इस बिल को कैबिनेट से पारित किया है, जिसको आज मैं इस सदन के सामने ले कर आया हूँ। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष जी, मैं मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज विधेयक लेकर आया हूं। ... (व्यवधान) इसकी धारा 45 ए से लेकर 45एल निर्वाचन सुधारों के लिए है।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष जी, हमारे यहां अक्सर फरियाद होती है कि सहकारिता में राजनीतिक हस्तक्षेप होती है।... (व्यवधान) सरकार किसी भी दल की हो, मगर राजनीतिक हस्तक्षेप की फरियाद होती हैं। अब हम 45ए से 45एल में एक प्रोविजन लेकर आए हैं। इसमें चुनाव आयोग बनाने का प्रोविजन है।... (व्यवधान) इसमें निर्वाचन प्राधिकरण बनाया जाएगा, जो स्वतंत्र रूप से चुनाव करेगा। इससे सरकारी दखल कम हो जाएगी। निर्वाचन प्राधिकरण के सभापति की जो शक्तियां हैं, वह लगभग चुनाव आयुक्त के समक्ष कर दी गई हैं। इसमें सरकार का दखल नहीं होगा। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष जी, हमने इसके साथ-साथ तय किया है कि अगर बोर्ड की एक-तिहाई संख्या खाली हो जाती है, तो फिर से चुनाव कराना पड़ेगा।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष जी, हम इसके साथ-साथ एक सुझाव लेकर आए हैं कि बोर्ड की बैठकों में अनुशासन और सरकारी समितियों के कार्यकलाप... (व्यवधान) इसकी धारा 50 अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा बोर्ड के सदस्यों के तीन माह के अंदर एक बोर्ड मीटिंग बुलाने के लिए कम्प्लशन करेगा।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष जी, अगर उपसभापति या सभापति बोर्ड की मीटिंग नहीं बुलाते हैं तो हमने तय किया है कि सीईओ की जिम्मेदारी होगी कि वह बोर्ड की मीटिंग बुला ले।... (व्यवधान) इससे मीटिंग्स नियमित रूप से हो जाएंगी। कई बार बहुमत खो देने की स्थिति में मीटिंग ही नहीं बुलायी जाती है, लेकिन अब ऐसा नहीं कर पाएंगे।... (व्यवधान) सीईओ द्वारा मीटिंग बुलाने के लिए प्रावधान किया गया है।... (व्यवधान) अगर तीन मास में मीटिंग बुलाई है और 50 परसेंट सदस्य लिखकर देंगे तो कम्प्लसरी मीटिंग बुलानी पड़ेगी।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष जी, सहकारी सोसाइटी के प्रशासन में पारदर्शिता लाने के लिए इक्विटी शेयरधारक के लिए बहुमत का प्रावधान भी हमने स्वीकारा है।... (व्यवधान) सदस्यों में अनुशासन के लिए धारा 30 है।... (व्यवधान) कोई भी सदस्य गैर रीति के कारण निष्कासित हुआ है, पहले वह पीछे चुनाव लड़ सकता था, लेकिन अब तीन साल तक वह चुनाव नहीं लड़ पाएगा।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष जी, हमने इन सहकारी समितियों में एक एससी या एक एसटी और दो महिलाओं को रिजर्वेशन देने का काम किया है।... (व्यवधान) इससे सहकारिता के अंदर एससी, एसटी और महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ेगा।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष जी, निर्देशक बोर्ड में पारदर्शिता लाने के लिए कनकरेंट ऑडिट की हमने व्यवस्था की है। अगर जैसे 500 करोड़ रुपये से ज्यादा जिसका टर्न ओवर है, तो उन सारी सहकारी समितियों को कम्प्लसरी कनकरेंट ऑडिटर रखना पड़ेगा और वह ऑडिटर सी.आर.सी.एस. पैनल से ही रखना पड़ेगा।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष जी, अगर बोर्ड के मेम्बर विभिन्न संवैधानिक अपेक्षाओं का अनुपालन नहीं करते हैं तो धारा 43 उसको बोर्ड का मेम्बर रहने के लिए अयोग्य घोषित करेगा।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष जी, मैं भी सहकारिता आंदोलन से जुड़ा हुआ हूं।... (व्यवधान) सहकारिता आंदोलन में बहुत सारे आरोप लगते थे कि जो लोग सहकारिता समिति चला रहे हैं, वे लोग अपने ही चाचा, मामा, चाचा का बेटा, भाई, साला, साली को नौकरी देते हैं।... (व्यवधान) अब हमने तय किया है कि कर्मचारियों की भर्ती की प्रक्रिया में किसी भी ब्लड रिलेशन और डिसटेन्ट रिलेटिव को नौकरी नहीं दी जा पाएगी। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष जी, हमने समपरीक्षण, सदाचार और यौन उत्पीड़न के बारे में एक कमेटी बनाने का भी प्रावधान किया है।... (व्यवधान) हमने सूचना के अधिकार को भी इसके अंदर शामिल किया है, जिससे सूचना के अधिकार की पूर्ति हो सके।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष जी, हमने धारा 70(2) (3ए) में सी.आर.सी.एस. के रेगुलर पैनल से ही ऑडिटर और कनकरेंट ऑडिटर को रखने का प्रावधान किया है।

माननीय अध्यक्ष जी, हमने पूंजी बढ़ाने के लिए भी कई सारे उपाय किए हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि यह बिल इस सदन के पारित करने के साथ ही देश के सहकारिता आंदोलन में एक नये युग की शुरुआत होगी और बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाले दिनों में होगा। ... (व्यवधान)

मैं समझ सकता हूं कि अभी जो नारे लगा रहे हैं, उनका न सहकार में इंट्रेस्ट है, न सहकारिता में इंट्रेस्ट है, न दलितों में इंट्रेस्ट है, न महिलाओं के कल्याण में इंट्रेस्ट है।... (व्यवधान) उनके नारे लगाना बहुत स्वाभाविक है।... (व्यवधान) मगर, मैं फिर से कहना चाहता हूं, मैंने आज दोनों सदनों के विपक्ष के नेता को पत्र लिखा है कि कितनी भी लंबी चर्चा के लिए मैं तैयार हूं।... (व्यवधान) सरकार को कोई डर नहीं है। ... (व्यवधान) जिसको मणिपुर पर चर्चा करनी है, वह चर्चा कर ले।... (व्यवधान) हमें कुछ छिपाना नहीं है। ... (व्यवधान) दोनों विपक्ष के नेताओं को मैंने आज पत्र लिखा है। ... (व्यवधान) मैं कहता हूं कि जनता आपको देख रही है।... (व्यवधान) चुनावों में जाना है।... (व्यवधान) जनता के खौफ को ध्यान में रखिए और मणिपुर जैसे संवेदनशील इश्यू पर चर्चा के लिए उचित माहौल सदन में बनाइए। ... (व्यवधान) ऐसी मेरी विनती है। आपका धन्यवाद। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 का और संशोधन करने वाले विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा यथाप्रतिवेदित, पर विचार किया जाए।"

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।</u>

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी।

… (व्यवधान)

खण्ड 2 धारा 3 का संशोधन

माननीय अध्यक्ष: प्रो. सौगत राय जी, क्या आप संशोधन संख्या 1 को प्रस्तुत करना चाहते हैं?

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन जी, क्या आप संशोधन संख्या 10 को प्रस्तुत करना चाहते हैं?

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, प्रो. सौगत राय जी और श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन जी, दोनों अपने संशोधनों को प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं, इसलिए मैं सारे खंडों को एक साथ ही सभा के निर्णय के लिए रख रहा हूं।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 से 49 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 से 49 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: मैं फिर आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं। सहकारिता जैसे क्षेत्र पर आप चर्चा करें। मैं आपको मौका दे रहा हूं। आप सब अपनी-अपनी सीट्स पर जाएं। आप सहकारिता जैसे महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा नहीं करना चाहते, सदन में गरिमा नहीं रखना चाहते, यह उचित नहीं है।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: मंत्री जी अब प्रस्ताव करें कि विधेयक को पारित किया जाए।

श्री अमित शाह : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही बुधवार, दिनांक 26 जुलाई 2023 को प्रात: 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

<u>अपराह्न 5.49 बजे</u>

तत्पश्चात् लोक सभा बुधवार, 26 जुलाई, 2023 / 4 श्रावण, 1945 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

———————

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण, अंग्रेजी संस्करण और हिन्दी संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध हैं*:*

https://sansad.in/ls

लोक सभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का संसद टी.वी. चैनल पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रातः 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की कार्यवाही समाप्त होने तक होता है।

© 2023 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय
लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (सत्रहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अन्तर्गत प्रकाशित